




वार्षिक रिपोर्ट
1998-99



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



विषय-सूची

1) अध्यक्ष का पत्र	2
2) आयोग का संक्षिप्त विवरण.....	6
3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त परिचय	9
4) आयोग के उद्देश्य.....	18
5) अभियान (मिशन) विवरण	19
6) पूर्व वर्ष का मूल्यांकन	
(i) प्रशासन	21
(ii) वार्षिक लेखा विवरणी	24
(iii) थोक विद्युत टैरिफ	27
(iv) अन्तर्राज्यीय पारेषण विनियम	29
7) वर्ष 1999-2000 के लिए कार्यसूची	31

अनुसूचियों की सूची

I आयोग के सदस्यों और प्रमुख कर्मचारियों की सूची.....	32
II संगठन चार्ट.....	33
III केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची	35
IV 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के लिए आई.ई.जी.सी. और संगठनात्मक प्रबंधनों के संबंध में पावर ग्रिड को जारी निर्देश	37
V चुनिंदा विनियमित संस्थानों का परिचय	41

अध्यक्ष और मुख्य अधिशासक का पत्र

भारतीय विद्युत बाजार में आपूर्ति से अधिक मांग है। बाजार पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले उपक्रमों का वर्चस्व है। थोक बाजार केंद्रीय और निजी सर्जक स्टेशनों और खरीददारों जो कि अधिकांशतः राज्य विद्युत-बोर्ड और उनके उत्तरवर्ती निगम हैं, के बीच 'लें या भुगतान करें' ठेकों के लिए विख्यात है। यहां पर न तो कोई प्रतियोगिता है न ही प्रतियोगिता का प्रभाव। प्रतियोगिता से उत्पादन बढ़ता है और वितरण में दक्षता आती है जिसके परिणामस्वरूप अंतिम उपभोक्ता विद्युत की उपलब्धता, गुणवत्ता और मूल्य से लाभान्वित होता है। इस समय में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का मुख्य कार्य समुचित टैरिफ विनियमन द्वारा प्रतियोगिता के प्रभावों को प्रेरित करना है।

यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, लेखाकारों, प्रबंधकों, वकीलों के मध्य अंतर्विषयी कार्यों का लाभ नहीं मिला है। आयोग को इन विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की उपस्थिति का लाभ नहीं मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इंजीनियरों को छोड़कर अन्य विषय के बहुत कम विशेषज्ञ विद्युत पर कार्य कर रहे हैं। अन्य विषय के विशेषज्ञों की भी इस सैक्टर में तत्काल आवश्यकता है।

केंद्रीय विनियामक आयोग अवसंरचना क्षेत्र में संसदीय कानून द्वारा बनाया जाने वाला दूसरा स्वतंत्र विनियामक



आयोग है। वर्तमान रिपोर्ट के समय आयोग को बने आठ माह हुए थे। आरंभ में आयोग ने यह निर्णय लिया कि वह प्रशासन के मामले में सरकार की कार्यविधि का पालन करेगा चाहे वह कितना भी हतोत्साहित करने वाला हो।

आयोग ने अपने प्रथम वर्ष की उपलब्धि हेतु अपने लिए निम्नलिखित उद्देश्य रखे थे :-

- अपने सदस्यों के बीच कार्य करने के लिए सद्भावपूर्ण संबंधों का विकास ।
- सरकार के अनुमोदन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पहचान करना और संगठन संरचना विकसित करना, नौकरी के लिए योग्यता, वेतन का निर्धारण करना तथा अन्य विवरण तैयार करना ।
- कर्मचारियों की भर्ती करना, इंडक्ट करना और प्रशिक्षित करना।
- आयोग के काम-काज का संचालन करने के लिए विनियम तैयार करना और अधिसूचित करना।
- विद्युत की थोक बिक्री के लिए बल्क पावर टैरिफ की अवधारणा पर पेपर तैयार करना ।
- भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तैयार करने के लिए सी.टी.यू. को निर्देश जारी करना ।

- राज्य विनियामक आयोगों के साथ संचार का संस्थाकरण करना ।

जैसा कि रिपोर्ट से विदित होगा, आयोग अपने स्वतः निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में (कर्मचारियों की भर्ती को छोड़कर) सफल रहा है। आयोग बिना किसी समुचित कार्यालय स्थान या कर्मचारियों को प्राप्त किए, यहां तक कि प्रतिनियुक्ति पर भी कर्मचारियों की भर्तियों के लिए नियमों के अनुमोदन में लंबे विलंब और ऐसी सरकारी कार्यवाहियों जो आयोग को वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने में मंत्रालय के अधीन बनाते हैं, से असुविधा में रहने के बावजूद भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है।

आयोग यह प्रगति नहीं कर पाता जो उसने की है, यदि इसके सदस्य श्री डी. पी. सिन्हा ने अन्तर्राज्यीय वितरण प्रणाली पर अपनी गहन जानकारी प्रदान न की होती। श्री जी. एस. राजामणि जिन्हें सरकार में और विद्युत के वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य का व्यापक अनुभव है; श्री ए आर रामानाथन जो कि एक विख्यात लागत लेखाकार है और जिन्हें विधिक मामलों का विस्तृत अनुभव है; श्री जी. जी. थॉमसन, आयोग के अंशकालिक सचिव जो साथ-साथ विद्युत मंत्रालय में पहले चार महीनों के लिए कार्य करते रहे हैं, के प्रति आयोग आभार व्यक्त करता है। श्री संजीव



एस.अहलूवालिया ने पूर्णकालिक सचिव के रूप में दिसंबर 1998 में पदभार ग्रहण किया और उन्होंने आयोग के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। अपने प्रारंभिक महीनों में आयोग को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्य-दल से लाभ हुआ। माननीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार और उनके वरिष्ठ अधिकारी काफी सहायक रहे। हम कैनैडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के आभारी हैं जिन्होंने अल्प सूचना पर परामर्शदाता और उपस्कर उपलब्ध करवाए। उड़ीसा और हरियाणा के राज्य आयोग तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें दायित्वों की परस्पर व्याप्ति तथा कार्य की समानता को ध्यान में रखते हुए नियमित पारस्परिक विचार-विमर्श के लिए विनायामकों का एक राष्ट्रीय फोरम बनाना चाहिए।

आयोग इस संकल्प के साथ नववर्ष में प्रवेश करता है कि विद्युत के अन्तः राज्यीय पारेषण में सुधार लाएगा, टैरिफ के निर्धारण के लिए अपने दृष्टिकोण की घोषणा करेगा और इस उद्योग को प्रतिस्पर्धा के युग में प्रगति की ओर अग्रसर करेगा।

भवदीय,

ह.

(एस. एल. राव)

अध्यक्ष

आयोग : एक संक्षिप्त विवरण

आयोग का गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 14) के अधीन किया गया था। यह (अधिनियम) केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर विनियामक आयोगों के गठन, विद्युत टैरिफ के युक्तिकरण, आर्थिक सहायता के संबंध में नीतियां बनाने और दक्ष एवं वातावरण हितैषी नीतियों के संवर्धन के लिए प्रावधान करता है। अधिनियम के पूरे पाठ की प्रति आयोग के वेबसाइट www.cercind.org पर उपलब्ध है।

आयोग का गठन अध्यक्ष, तीन अन्य पूर्णकालिक सदस्यों और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष जो पदेन सदस्य, हैं को मिलाकर किया गया है। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देते हुए, बहु-विषयी दृष्टिकोण की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, अधिनियम विहित करता है कि आयोग के

अध्यक्ष और सदस्यगण ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त या प्रबंधन का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होगा। यह विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी विहित करता है जिसको आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अधिनियम के अधीन यथाविहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा निश्चित किए जाएंगे।

अगस्त, 1998 के आरंभ में अध्यक्ष और सदस्यों ने पद की शपथ ली और आयोग की स्थापना से संबंधित प्रारंभिक कार्य, शुरू में अस्थायी कार्यालय जनपथ होटल में आरंभ किया, उसके बाद लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान को स्थानांतरित हुए, अंत में स्कोप परिसर में स्थानांतरित हो गए। दिसंबर, 1998 में एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति की गई।

आयोग की संस्वीकृत स्टाफ संख्या 26 है जिसमें अर्थशास्त्र, इंजीनियरी, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्र के



व्यावसायिक हैं। आयोग का संगठन-चार्ट अनुसूची -2 पर उपलब्ध है। आयोग इन पदों को भरने के लिए सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थाओं में उपलब्ध मानव संसाधनों का उपयोग करने का इरादा रखता है ताकि आयोग के अंदर ही व्यापक स्तर की विशेषज्ञता और अनुभव उपलब्ध रहे। मार्च, 1999 के अंत तक आयोग मात्र 3 व्यावसायिकों के बहुत थोड़े से स्टाफ से ही कार्य कर रहा था। पावर ग्रिड, एन. टी. पी. सी. के कार्यदल और परामर्शदाताओं की सहायता से और सदस्यों तथा सचिव के अपने गहन प्रयासों से, आयोग सेवा विनियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को शुरू करने, कर्मचारीवृन्द की भर्ती करने, उपयुक्त स्थान का चयन करने और मूलभूत कार्यालय सुविधाओं का प्रावधान करने में सफल रहा। वर्ष के अंत तक आयोग के ये प्रयास फलीभूत हुए और कर्मचारीवृन्द की लगातार कमी के बावजूद आयोग अपने अधिदेश के मूल मुद्दों पर कार्य करने के पथ पर भली प्रकार अग्रसर रहा।

अधिनियम के अधीन आयोग को बहुत विस्तृत अधिदेश प्राप्त हैं। इसका अधिकार-क्षेत्र विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राज्यीय पारेषण और केन्द्रीय उत्पादन के टैरिफ को

विनियमन की शक्तियों द्वारा अथवा मार्गनिर्देश तैयार करने और भारत सरकार को परामर्श देने के उत्तरदायित्व द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत क्षेत्र की सम्पूर्ण गतिविधियों तक फैला है। संशोधन अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन जो कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 का संशोधन है, आयोग को अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणालियों की पारेषण उपयोगिता के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्ति प्रदत्त है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के एक संशोधन द्वारा आयोग अब क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्रों को संदत्त की जाने वाली फीस और प्रभार विनिर्दिष्ट करेगा। भारत में स्वतंत्र विनियमन अभी भी विकास के क्रम में है, परिणामस्वरूप आयोग परामर्श के उपयोग के माध्यम से अपने पास उपलब्ध कौशल और अनुभव की अनुपूर्ति का इरादा रखता है। बाद में यह परामर्शदाताओं के उपयोग के लिए समुचित विनियम बनाएगा।

स्वतंत्र विनियमन के लिए वित्तीय स्वायत्तता पूर्वापेक्षाओं में से एक है। आयोग का वित्त-पोषण भारत की संचित निधि पर प्रभावित भारत सरकार के बजटीय आबंटन से किया जाता है। वर्ष 1998-99 में आयोग को २.५ करोड़ रूपए का बजटीय आबंटन

उपलब्ध था । तथापि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यय, बजटीय नियंत्रण और लेखांकन से संबंधित सारा कार्य विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत के आसपास सरकार ने वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया और अध्यक्ष को भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर दिया जिससे आयोग की वित्तीय स्वायत्तता की दिशा में मूल संरचना की शुरूआत हो गई हालांकि स्वतंत्र वेतन और लेखा अधिकारी, जो की चैक जारी कर सके, की अनुपस्थिति में इन शक्तियों का प्रयोग करने में आयोग को लगातार काफी कठिनाई आती रही।



आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त परिचय





प्रोफेसर एस. एल. राव
अध्यक्ष और मुख्य अधिशासक

प्रो. एस. एल. राव, अगस्त, 1998 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। वे इस पद पर व्यावसायिक प्रबंधक, प्रबंध शिक्षक और लेखक, व्यापार अर्थशास्त्री और अनुसंधानकर्ता के रूप में अनेक वर्षों के अनुभव के पश्चात पहुंचे हैं। उनका सारा पूर्व अनुभव निजी क्षेत्र में ही रहा है।

वे प्रशिक्षण से एक अर्थशास्त्री हैं और अनुभव से एक प्रबंधक। उन्होंने निजी क्षेत्र में तीन विभिन्न कंपनियों में प्रबंधक के रूप में, विपणन, निर्यात और सामान्य प्रबंध में 28 वर्ष की सेवा की है।

उन्होंने विख्यात संस्थाओं में प्रबंध विषय पर शिक्षण कार्य किया है। प्रबंध सलाहाकार के रूप में 2 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम के पहले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में

उनकी नियुक्ति की गई। वे राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च) के वर्ष 1990-96 के दौरान महानिदेशक थे। वे टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में विशिष्ट विजिटिंग फ़ैलो थे। पर्थ, आस्ट्रेलिया में इंडियन आसियन सेंटर में विजिटिंग फ़ैलो होने के साथ-साथ अनेक संगठनों के बोर्डों के निदेशक भी रहे। उनके अधिकांश लेख भारत की उपभोक्ता जनसंख्या पर केन्द्रित रहे हैं (जिन्होंने विश्व को भारतीय बाजार के आकार से परिचित करवाया)। उनकी छः पुस्तकें और विख्यात पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में व्यापक रूप से व्याख्यान दिए हैं।



श्री डी. पी. सिन्हा सदस्य

1940 में जन्में श्री डी. पी. सिन्हा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य हैं जो भारत सरकार में सचिव स्तर का है। आयोग में सम्मिलित होने से पहले उनका कैरियर भारत सरकार के केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण में लगभग तीन दशकों का रहा है जहां पर उन्होंने “विद्युत प्रणाली” और “ग्रिड एवं प्रचालन” के क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। आयोग में आने से ठीक पहले वे सदस्य (ग्रिड एवं प्रचालन) थे (1995-98) जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव का पद है। उस पद पर भारत के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिडों की विद्युत प्रणालियों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने व उसका विकास करने में तकनीकी और वाणिज्यिक मुद्दों का विनियमन करने में उनकी अहम भूमिका थी, जिसने आने वाली राष्ट्रीय ग्रिड की नींव रखी। उनका महत्वपूर्ण योगदान

अंतर्क्षेत्रीय विद्युत विनियम में था जब पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र की अतिरिक्त विद्युत का प्रवाह दक्षिणी क्षेत्र (1997-98) को होना शुरू हो गया जिससे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विद्युत ग्रिड की अवधारणा बनी।

वे इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार में सुविज्ञता सहित रांची विश्वविद्यालय (1963) के अधीन बी. आई. टी., सिंदरी से इंजीनियरी स्नातक है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सन् 1964 में वे केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा में भर्ती हुए। उन्होंने आयोजना, इंजीनियरी, निर्माण, पारेषण लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण, हाइड्रो पावर स्टेशन, प्रणाली एकीकरण, स्कैडा, सुदुर नियंत्रण और कंप्यूटरीकरण में विस्तृत अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने ग्रिड की कई गड़बड़ियों की जांच की और महत्वपूर्ण सिफारिशों की जिन्हें पावर यूटिलिटियों द्वारा कार्यान्वित किया गया।

उन्हें विद्युत प्रणाली और उसके प्रचालन के क्षेत्र में काफी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है। वे जांबिया इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कार्पोरेशन में भारत सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति पर थे और उन्होंने प्रशिक्षण के लिए कनाडा और जर्मनी का भी भ्रमण किया। उन्होंने एक्सपर्ट/विशेषज्ञ के रूप में रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (आर. एल. डी. सी.) के विकास

और भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए
“मास्टर दूरसंचार योजना” तैयार करने
के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका,
जर्मनी और ब्रिटेन का भी दौरा किया
है। उनकी यह पृष्ठभूमि और अनुभव
आयोग के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड
संहिता को अंतिम रूप देने के लिए
एक पूंजी हैं।



श्री जी. एस. राजामणि सदस्य

1943 में जन्मे श्री जी. एस. राजामणि अगस्त, 1998 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में चुने जाने से पूर्व श्री राजामणि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (आर्थिक और वाणिज्य) थे और वे वित्तीय और वाणिज्यिक मूल्यांकन, देश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र विद्युत परियोजना, राज्य विद्युत बोर्डों का निष्पादन कार्य, टैरिफ नियतन आदि कार्यों से संबद्ध थे।

श्री राजामणि मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। 1964 में सिविल सेवा परीक्षा देने के पश्चात 1965 में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के लिए उनका चयन हुआ था। उन्होंने विभिन्न अंतरालों पर रक्षा लेखा सेवा विभाग में अनेक कनिष्ठ पदों, मध्य पदों और वरिष्ठ स्तर के पदों पर कार्य किया। विद्युत क्षेत्र में आने से पूर्व वे रक्षा लेखा के अपर महानियंत्रक थे। उनके अनुभव ने ही

उन्हें भारत सरकार के वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षा और लेखा प्रक्रिया में मजबूत आधार प्रदान किया है। उन्होंने 1977 में इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। श्री राजामणि ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे संचार, पर्यावरण, इलैक्ट्रॉनिक्स, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कल्याण तथा रक्षा आदि में समय-समय पर अपर सचिव से आरंभ करके अपर सचिव तक के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। श्री राजामणि ने 1996 में यू.एस.ए. आई.डी. ऊर्जा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चरिंग एंड रेगुलेटरी रिफार्म पर अध्ययन करने के लिए (संयुक्त राज्य अमरीका) का दौरा किया।



श्री ए. आर. रामनाथन
सदस्य

श्री ए.आर.रामनाथन का जन्म 1938 में हुआ था और उन्होंने अपने स्कूल और कालेज की शिक्षा तमिलनाडु राज्य में पूरी की। उन्होंने प्रतिष्ठित लायोला कालेज, चेन्नई से वाणिज्य में श्रेष्ठता सहित स्नातक किया और इसी कालेज से 1960 में विश्वविद्यालय में द्वितीय रैंक प्राप्त करके स्नातकोत्तर किया। उन्होंने उसी वर्ष शिक्षक के रूप में कार्य करना आरंभ किया और 1964 में दिल्ली आकर इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया में कार्य किया। तत्पश्चात् 1967 में उन्होंने फैकल्टी ऑफ श्री राम कालेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण किया जहां उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर, दोनों के छात्रों को लेखा, कंपनी विधि और प्रबंधन लेखा पढ़ाना शुरू किया।

1971 में आल इंडिया रैंक के साथ उन्होंने भारतीय लागत और संकर्म लेखा संस्थान के सदस्य के रूप में अर्हता प्राप्त की। उन्होंने 1972 में इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेटरीज ऑफ इंडिया की सदस्यता भी प्राप्त की। साथ-साथ उन्होंने भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली से प्रथम श्रेणी में कंपनी लॉ में डिप्लोमा भी किया।

श्री रामनाथन ने 1971 में लागत लेखाकार के रूप में अपनी प्रैक्टिस आरंभ की। 20 वर्ष तक वे लागत सलाहकार, परामर्शी और लागत लेखा परीक्षक के रूप में उद्योग में सेवारत थे। उन्होंने अनेक औद्योगिक कंपनियों, टेक्सटाइल, सीमेंट, पेपर, साइकिल, चीनी, आटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योगों की सांविधिक लागत लेखा परीक्षा उर्त्तीण की है। लागत लेखाकार के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें लागत लेखापरीक्षा नियमों से संबंधित सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें एक कानूनी निकाय, सेंट्रल काउंसिल ऑफ दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वक्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में भी नामित किया है।



अपने व्यावहारिक और शैक्षणिक अनुभव को जोड़ते हुए उन्होंने प्रो. टी. एस. ग्रेवाल और डा. एन. एल. हिंगोरानी के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर एक किताब लिखी है जिसके अब तक पांच से अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। लागत और प्रबंधन लेखा परीक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव से उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है जिसे मैसर्स टाटा मैकग्राहिल द्वारा प्रकाशित किया गया है। उन्होंने इकॉनोमिक डेली और अन्य पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे हैं। उन्होंने अनेक सेमिनारों में टेक्नीकल पेपर प्रस्तुत किए हैं।

1991 में श्री रामनाथन का भारत सरकार द्वारा लॉ बोर्ड के प्रथम व्यावसायिक सदस्य के रूप में चयन किया गया था। उन्होंने बोर्ड की उत्तरी न्यायपीठ की अध्यक्षता की और बोर्ड की प्रधान न्यायपीठ में भी कार्य किया है तथा उन्होंने कारपोरेट विवादों संबंधी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए।

1998 में श्री रामनाथन का भारत सरकार के सचिव पद के बराबर, हाल ही में गठित, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप

में चयन किया गया। इसी हैसियत से उन्होंने जनवरी, 1999 में संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया जहां उन्होंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में विनियामकों के कार्यक्रम में भाग लिया।



श्री आर. एन. श्रीवास्तव
अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
और पदेन सदस्य, केन्द्रीय विद्युत
विनियामक आयोग

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री आर. एन. श्रीवास्तव ने बी. एस. सी. बी. टेक. (आनर्स), इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर) में डिग्री, आई.आई.टी., खड़गपुर और एफ.आई.ई (इंडिया) से प्राप्त की है। उन्होंने 1963 में, समूह 'क' सेवा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सेवाभार संभाला। उन्होंने ३६ वर्षों तक समूह 'क' सेवा में कार्य किया है। श्री आर. एन. श्रीवास्तव को सामान्यतः विद्युत आपूर्ति उद्योग तथा विशेषकर विद्युत आयोजना के क्षेत्र में भारत और विदेश दोनों में लंबा व्यावसायिक अनुभव है। वे 1975 से 1980 तक 5 वर्षों के लिए जल व विद्युत मंत्रालय, आबुधाबी, यू. ए. ई सरकार की आयोजना के प्रमुख रहे। वे विद्युत आपूर्ति उद्योग से संबंधित अन्य विदेशी समनुदेशनों के लिए कनाडा (1983), थाईलैण्ड (1984), यू.एस.ए. (1985),

यू. के. (1995), यू. के., यू. एस. ए. तथा फ्रांस (1997), यू. एस. ए. (1998) भी गए।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने से पूर्व श्री आर. एन. श्रीवास्तव ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में दीर्घकालिक विद्युत योजना और इष्टतमीकरण से संबंधित अनेक पदों पर कार्य किया है। श्री आर. एन. श्रीवास्तव ने अप्रैल, 1994 से जून 1995 तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में देश के विद्युत प्रदाय उद्योग के प्रबंधन में विनियोजित मानव संसाधनों के विकास के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों और पत्रिकाओं के लिए अनेक तकनीकी लेख लिखे हैं। वे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, विद्युत संबंधी कार्यकारी दल, देश में भावी परमाणु ऊर्जा केंद्रों के लिए स्थल चयन समिति, आठवीं योजना के लिए क्षमता आयोजना मानदंड संबंधी दल, अगले उच्चतर तापीय यूनितों (500 मेगावाट) पर विचार करने के लिए दल, आठवीं योजना के दौरान व्यस्ततमकालीन विद्युत कमियों को दूर करने संबंधी योजना आयोग के अध्ययन दल तथा योजना



आयोग के ऊर्जा - निदर्शन समूह
आदि जैसी विभिन्न समितियों /
कार्यकारी दलों, आदि में भी रहे हैं।
श्री श्रीवास्तव ने देश में विद्युत
विकास के लिए अंतर-विभागीय
समितियों की भी अध्यक्षता की है।

न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन के
निदेशक बोर्ड का निदेशक होने के
अलावा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक
आयोग के गठन से ही केन्द्रीय विद्युत
प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर. एन.
श्रीवास्तव ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक
आयोग, नई दिल्ली के सदस्य (पदेन)
के रूप में भी पद धारण किया है।

आयोग के उद्देश्य

आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार है:-

- (क) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना;
- (ख) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के अलावा, ऐसी उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, जो एक से अधिक राज्य में विद्युत का उत्पादन और विक्रय करती हैं या उनके पास ऐसा करने की मिश्रित स्कीम है;
- (ग) पारेषण यूटीलिटियों की टैरिफ समेत ऊर्जा के अंतर्राज्यिक पारेषण को विनियमित करना ;
- (घ) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और किफायत को बढ़ावा देना ;
- (ङ) टैरिफ नीति बनाने में केंद्रीय सरकार को सहायता और सलाह देना जो, -
 - (i) उपभोक्ताओं के लिए उचित हो; और
 - (ii) विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधनों के जुटाने में सुविधा दे;
- (च) विद्युत क्षेत्र के पर्यावरणीय विनियमन के लिए समुचित नीतियों और प्रक्रिया का विकास करने हेतु पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के साथ सहयोग करना ;
- (छ) विद्युत टैरिफ से संबंधित विषयों में मार्ग-दर्शक सिद्धांत तैयार करना;
- (ज) उपर्युक्त (क) से (ग) से संबंधित विषयों की बाबत उत्पादन कंपनियों या पारेषण यूटीलिटिज के बीच उठे विवादों की मध्यस्थता या न्यायनिर्णयन करना;
- (झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर सरकार की सहायता करना और सलाह देना;
- (ञ) अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देना ।

अपने दायित्व के भीतर गतिविधियों के निश्चित क्षेत्र के तहत आयोग उद्देश्यों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता को मान्यता देता है। इस उद्देश्य के प्रति, आयोग ने एक अभियान विवरण तैयार किया है जो आगामी वर्षों के दौरान इसकी कार्य योजना को तैयार करने में मार्गदर्शन करेगा।



अभियान (मिशन) विवरण

आयोग थोक बिजली बाजार में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढ़ावा देने की, प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार करने, निवेश में अभिवृद्धि करने और मांग व आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने हेतु संस्थागत अवरोधों को दूर करने तथा इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की मंशा रखता है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में आयोग, -

- भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के प्रतिपादन के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करेगा और तत्संबंधी संस्थागत व्यवस्था की पुनः संरचना करेगा।
- एक टैरिफ निर्धारण यंत्र को तैयार करेगा जो थोक विद्युत और संचालन सेवाओं में प्रतिस्पर्धा, कार्य कुशलता और एक समानता को बढ़ावा देगा।
- सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के लिए जानकारी पहुंचाने में सुधार करेगा
- यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र बनाएगा कि भागीदारी पद्धति में निवेश विनिश्चय पारदर्शी रूप से किए जाएं और न्यूनतम लागत के आधार पर औचित्यपूर्ण हों।
- थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं में प्रतियोगी बाजार के विकास के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों को सुलभ बनाएगा।
- प्रतियोगी बाजार के सृजन के लिए प्रथम चरण के रूप में पर्यावरणीय सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी समस्याओं तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमाओं के भीतर पूंजी और प्रबंधन के प्रवेश और निकास के अवरोधों को हटाने का प्रयास करेगा।
- पर्यावरणीय विनियमों को बनाने में आर्थिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के साथ सहयोग करेगा।

पूर्व वर्ष का मूल्यांकन

प्रशासन

अधिनियम की धारा 14 ऊर्जा क्षेत्र में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थापना करने के लिए उपबंध करती है। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष और पदेन सदस्य होते हैं। केन्द्रीय सलाहकार समिति से, केन्द्रीय आयोग को नीति रचना, गुणवत्ता, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दी जाने वाली सेवा की निरंतरता और विस्तार, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा तथा ऊर्जा आपूर्ति और यूटीलिटीज द्वारा कार्य निष्पादन के समग्र मानक के संबंध में सलाह देने की अपेक्षा की जाती है।

आयोग ने 18 दिसंबर, 1998 को केन्द्रीय सलाहकार समिति के गठन को अधिसूचित किया। समिति का संघटन (अनुसूची 3) में उपलब्ध है।

केन्द्रीय सलाहकार समिति की पहली बैठक

समिति की पहली बैठक 21 दिसंबर 1998 को हुई थी। सदस्यों का स्वागत करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रो. एस. एल. राव ने कहा कि स्वतंत्र विनियम की प्रक्रिया अभी तैयारी के चरण में ही है। इसे विधिमान्यता तभी प्राप्त हो पाएगी जब श्रेष्ठ अनुसंधान प्रयासों द्वारा इसे प्रबलित किया जाए और यह अगर विद्युत शक्ति क्षेत्र के कार्यक्रमों में तेजी से दक्षता एवं किफायत को लागू कर सके। विकृत मूल्य संसूचकों की विद्यमान प्रणाली तथा संसाधनों के अकुशल आबंटन को परिवर्तित करके मूल्यन की एक अधिक संगत प्रणाली तथा



आपूर्ति की अत्यधिक गुणवत्ता का प्रबंधन पहली चुनौती है। कार्यकुशल परिवर्तन तंत्र का विकास तभी संभव हो पाएगा जब देश के भीतर उपलब्ध श्रेष्ठ प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय परामर्शी समर्थन के साथ इस प्रयास के लिए प्रेरित किया जाए। सुधार के लिए सुविधापूर्ण व्यापक परिवेश का सृजन करने में समुचित सरकारी नीतियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे प्रारूप विनियमन और ग्रिड संहिता पर अपनी टिप्पणी भेजें और आगामी महीनों के लिए आयोग हेतु एक मार्ग मानचित्र तैयार करें।

सदस्यों ने आयोग को अगस्त, 1998 में उसके स्थापित किए जाने के समय से अत्यंत अल्पकाल में पारदर्शी विनियम के लिए आधार तैयार करने हेतु किए गए प्रयासों के लिए बधाई दी। विशेष रूप से सदस्यों ने, आयोग द्वारा की गई उस तीव्र प्रगति की प्रशंसा की जिसमें उसने कारोबार संचालन विनियम तैयार किए और जन सामान्य को उस पर टिप्पणी के लिए परिचालित किया। इसी प्रकार ग्रिड के प्रमुख संघटकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रिड संहिता प्रारूप तैयार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा भी की गई।

सदस्यों ने यह अनुरोध किया कि विद्युत प्रणाली पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एक स्वतंत्र निर्णायक के रूप में कार्य करे। सरकार द्वारा 1991 से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने और सभी भाग लेने वालों के लिए समान कार्यक्षेत्र तैयार करने के लिए किए गए सघन प्रयासों के बावजूद यह लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादकों के सामने आने वाले जोखिमों का स्तर और प्रकृति व्यापक तौर पर उनसे अधिक था जो सरकारी विद्युत उत्पादकों के सामने आते हैं और इसीलिए ऐसी परियोजनाओं की लागत बढ़ रही है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से ऐसी विकृतियों जो इस प्रणामी की समग्र कार्यकुशलता को घटाती हैं, पर ध्यान देने के लिए अनुरोध किया गया।

लागत प्रभावी पर्यावरणीय विनियम तैयार करना एक और महत्वपूर्ण विषय था। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से अनुरोध किया गया कि प्रदूषक जनित्रों से पर्यावरण संबंधी अपकर्ष की लागतों की मात्रा का पता लगाने और लागत प्रभावी विनियमों को तैयार करने के लिए पहल करे।

ग्रिड प्रबंधन अकार्यकुशलता का एक और क्षेत्र है। वित्तीय प्रोत्साहनों और जुमने के सही सेट के बिना प्रादेशिक ग्रिड के कुछ संघटक 'उन्मुक्त रूप से' बढ़ते रहेंगे और इस पर अतिरिक्त भार बढ़ाते जाएंगे। एक व्यापक ग्रिड संहिता को कठोरतापूर्वक कार्यान्वित करके ही ऐसी परिस्थिति से बचा जा सकता है। यह कार्य केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का वरीयता क्षेत्र होना चाहिए।

अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता तथा शिकायत निवारण का सुलभ मार्ग बनाना वरीयता का एक और क्षेत्र है। ऊर्जा कीमतों का युक्तिकरण, कार्यकुशलता के अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य मानदंडों पर ही किया जाए और इसके साथ आपूर्ति के भी वैसे ही मानदंड होने चाहिए। लागत और विनियम उपभोक्ताओं पर भार ही बढ़ाएंगे और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को कार्य निष्पादन पर आधारित दर प्रणाली अपनाने का अनुरोध किया गया।

केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों से प्राप्त सलाह और सुझाव, प्रारूप कारोबार संचालन विनियम का पुनरीक्षण करने में और क्षेत्रीय ग्रिडों के लिए

एक ग्रिड संहिता तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। सदस्यों ने आयोग और उसके कर्मचारियों के केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के बाद भी अपना कीमती समय देने में बहुत ही उदारता बरती है और इस प्रकार से आयोग को यह सुनिश्चित करने में सहायता की है कि आयोग का कार्य भारतीय विद्युत प्रणाली में पणधारियों (स्टेक होल्डरों) की आम अपेक्षाओं के अनुरूप होता रहे।

कारोबार संचालन विनियमों का प्रतिपादन

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि आयोग ने अपने कार्यकरण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं को विहित करते हुए, कारोबार संचालन विनियम का प्रारूप बनाया है। पारदर्शी और भागीदारी कृत्यों के उद्देश्य को देखते हुए प्रारूप को 7 दिसंबर, 1998 को जनता की टिप्पणी के लिए प्रकाशित किया गया था। स्टेक होल्डरों के कुछ वर्गों से 26 से अधिक अनुक्रियात्मक उत्तर प्राप्त हुए थे जिनमें व्यावसायिक एसोसिएशन, अनुसंधान संस्थान, सिविल सोसाइटी समूह, यूटीलिटीज, विदेशी निवेशक, वित्तीय संस्थान और इच्छुक व्यक्ति



सम्मिलित थे। प्राप्त प्रतिक्रियाओं और सी. ए. सी. के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् आयोग ने अपने कारोबार संचालन विनियमों को 26 अप्रैल, 1999 को अधिसूचित किया। तत्पश्चात् उन्हें 31 मई, 1999 को संशोधित किया गया। इन विनियमों का पूरा पाठ आयोग के वेबसाइट www.cercind.org पर उपलब्ध है।

सेवा विनियमों का प्रतिपादन

अधिनियम के उपबंधों के अधीन आयोग के कर्मचारियों के निबंधनों और शर्तों को शासित करने वाले सेवा विनियम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं। पात्रता संबंधी सेवा विनियमों का प्रारूप तैयार किया गया था। विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए मापदंड, सेवा के निबंधन और शर्तें, छुट्टी नियम, अनुशासनिक नियम आदि अनुमोदन के लिए सरकार को भेजे गए। तत्पश्चात् इन्हें संशोधित किया गया और फरवरी, 1999 में विद्युत मंत्रालय द्वारा यथानिर्दिष्ट पुनः प्रस्तुत किए गए थे। इन विनियमों का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।

संयुक्त राज्य अमरीका के विनियामक अधिकरणों के साथ भागीदारी कार्यक्रम

आयोग फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन, वाशिंगटन (डी. सी.) और पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन, दूरसंचार तथा ऊर्जा विभाग, राष्ट्रमंडल मस्साचियुसेट्स, बोस्टन के साथ भागीदारी कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी एसोसिएशन (यू.एस.ई.ए.) के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। भागीदारी कार्यक्रम सामान्य हित के मुद्दों पर अनुभवों को बांटने के साथ-साथ भागीदार अधिकरणों और अन्य तंत्रों के लिए सदस्यों और कर्मचारीवृन्द के आदान-प्रदान के लिए उपबंध करेगा।

मानव संसाधनों का विकास

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य श्री ए. आर. रामनाथन को यू.एस.ए.आई.डी. के अन्तर्गत फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में लोक उपयोग अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित उपयोगी विनियम और युक्ति पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया था।

आयोग ने, फरवरी, 1999 में, "उदारीकृत परिवेश में परिवर्तन: विनियमन में अनुभव एवं मुद्दे" पर

एक राष्ट्रीय सम्मेलन प्रायोजित किया जिसे टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें संयुक्त राज्य अमरीका, इजराइल और आस्ट्रेलिया के विनियामक अभिकरणों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डरों) ने भाग लिया।

सी. आई. डी. ए. से तकनीकी सहायता

कनाडा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली कनेडियन इंटरनेशनल

डेवलेपमेंट एजेंसी ने टैरिफ निरूपण टैरिफ फाइल अपेक्षाओं के निर्धारण, डाटा अपेक्षाओं की समीक्षा और डाटा प्रबंध प्रणालियों की प्रतिष्ठापना के क्षेत्रों में आयोग की तात्कालिक अपेक्षाओं को पूरा करके आयोग क सहायता दी। चल रही ऊर्जा अवसंरचनात्मक सेवा परियोजना - 1 में तकनीकी सहायता को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और इसे 4,15,000 कॅनेडियन डालर के अनुदा द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

वार्षिक लेखा विवरण 1998-99

व्यय

आयोग को वर्ष 1998-99 के लिए 250 लाख रूपए का बजट आबंटित किया गया था। वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अप्राप्यता के कारण वेतन के मामले में और बुनियादी न्यूनतम कार्यालय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए समय न होने के कारण कार्यालय व्यय के संबंध में

आयोग का व्यय मूल रूप से आबंटित बजट से कम था। किराए के लिए आबंटित रकम का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया क्योंकि आयोग समुचित आवास की व्यवस्था नहीं कर सका। आयोग के प्रस्तावित भवन के लिए अन्य प्रभार संबंधी व्यय का मुख्यतः अभ्यावेदित संदाय प्रत्यक्षतः विद्युत मंत्रालय द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को किया जाता है।



मुख्य शीर्ष : "2801" विद्युत
लघु शीर्ष : 80.800 (अन्य व्यय)

रु. लाख में

	बजट शीर्ष	बजट प्राक्कलन	व्यय
01.01.01	वेतन	43	3.43
01.01.11	घरेलू यात्रा व्यय	5	0.53
01.01.12	विदेश यात्रा व्यय	7	0.75
01.01.13	कार्यालय व्यय	75	9.36
01.01.14	किराया, दरें और कर	76	0
01.01.29	व्यावसायिक सेवाएं	10	0.22
01.01.50	अन्य प्रभार	34	2.03
योग		250	16.32

टिप्पणी : वर्ष के दौरान आयोग का संपूर्ण लेखा कार्य विद्युत मंत्रालय के आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा किया गया था। ऊपर दिए गए प्राक्कलन, आयोग के आंतरिक अभिलेखों पर आधारित अलेखापरीक्षित अशासकीय प्राक्कलन हैं और इन्हें विद्युत मंत्रालय के आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

आय

अधिनियम में आयोग को स्वयं वित्तपोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित विद्यमान स्कीम के अधीन आयोग का वित्तपोषण बजट संबंधी आबंटनों के माध्यम से किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए समुचित विनियम तैयार किए जा रहे हैं। इस कारण प्राप्त राजस्व, आयोग द्वारा अंगीकृत विनियम की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करते हुए अलग होंगे। फीस और प्रभारों से प्रोद्भूत राजस्व भारत की

संचित निधि में जमा करा दिए जाएंगे। प्रभावकारी विनियम द्वारा लाई गई दक्षता, आयोग के संबंध में सापेक्षतः अल्प व्यय को बराबर करने में पर्याप्त से अधिक होगी। आयोग लोकहित में कार्य करता है तथा विनियमित संस्थाओं को इसकी सेवाओं की प्राप्ति के सन्दर्भ में विनियम की लागत में भागीदार होना चाहिए। इसलिए आयोग यह उचित समझता है कि विनियमित संस्थाओं हेतु इसके द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के बदले फीस या प्रभार लगाया जाए।

कार्पस फंड का प्रबन्धन

बजटीय आबंटनों से अलग, स्वतंत्र वित्तपोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने आयोग गठित करने के लिए तथा नए संस्थान को आरंभ करने में होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए आयोग को 200 लाख रूपए की राशि कार्पस फंड के रूप में उपलब्ध कराई थी। यह राशि भारतीय स्टेट बैंक, लोदी रोड़ में एक-वर्षीय सावधि जमा के रूप में जमा की गई है, जो 5 सितंबर, 1999 को परिपक्व हो रही है और जिस पर 10.75% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त होता है। आयोग इस खाते में निधियों के उपयोग की पूरी तरह देखभाल करता है। इसका व्यय, आयोग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से, आयोग के अध्यक्ष द्वारा मंजूर किया जाता है।

आयोग, बहुत किफायत से इन निधियों से अर्जित ब्याज का उपयोग कर रहा है। ब्याज से प्राप्त रकम का उपयोग प्रारंभिक रूप से कुछ ऐसे कर्मचारियों जिसमें अर्थशास्त्री भी सम्मिलित है, को वेतन देने के लिए किया गया है जिन्हें आयोग द्वारा कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए ठेके पर लिया जाता है।

ठेके वाले कर्मचारियों या प्रतिनियुक्त व्यक्ति के कार्यभार संभालने, जो भ्रम पहले हो, के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा विनियमों का अनुमोदन किए जाने तक, इन पदों के बदले नियमित नियुक्तियां अभी की जानी है ब्याज से प्राप्त रकम का उपयोग सेवा अनुरक्षण तथा सुरक्षा आदि जैसे आवश्यक कार्यालय खर्चों के रूप में किया जा रहा है। आयोग का स्वयं का स्वतंत्र आहरण और संवितरण अधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी न होने से बजट से व्यय को पूरा करने के लिए ऐसे अपरिहार्य खर्चों के लिए अनुमोदन, जटिल प्रक्रिया के कारण काफी विलंब से प्राप्त होता है।

वर्ष 1998-99 के दौरान कार्पस फंड से 16.32 लाख रूपए की रकम खर्च की गई थी। व्यय की मदों के लिए एक बार ही बजट आबंटन कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिसे बजट आबंटन करते समय समाविष्ट किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 1998-99 के लिए बजट आबंटन के अंतर्गत कार्यालय खर्च उपशीर्ष में 75 लाख रूपए की बचत की गई है जिसके बदले प्रस्तावित कटौती को समायोजित किया जा सकता है।



तथापि, ऐसे खर्चों को करने के लिए कार्पस फंड का उपयोग केवल अस्थायी उपाय है। यह आशा की जाती है कि आयोग के स्वयं के आहरण और संवितरण अधिकारी और वेतन तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति से और नियमित कर्मचारियों के कार्यभार संभालने से भी व्यय की बजट से ही पूर्ति हो जाएगी। कार्पस फंड का उपयोग ऐसे क्षेत्रों के लिए परिसीमित किया जाएगा जो स्वतंत्र विनियम के दीर्घकालिक विकास से संबंधित हैं। कार्पस फंड के उपयोग, मानीटरिंग और प्रबंधन के लिए मानदंड विनिर्धारित करने के लिए विनियम तैयार किए जा रहे हैं।

थोक विद्युत टैरिफ

टैरिफ विनियम का प्रतिपादन

अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा विनियमों के माध्यम से टैरिफ के निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन तय किए जाने अपेक्षित हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 51 यह उपबंध करती है कि केंद्रीय

सरकार अधिसूचना द्वारा विद्युत प्रदाय अधिनियम की धारा 43 क की उपधारा (2) को हटा सकती है। जब तक इस उपबंध को हटा नहीं दिया जाता तब तक केंद्रीय सरकार की स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों के लिए टैरिफ विनियमित करने की शक्ति केंद्रीय सरकार के पास रहेगी। यद्यपि विद्युत प्रदाय अधिनियम की धारा 43 क (2) अब भी प्रवर्तन में है तथापि केंद्रीय सरकार ने इसे समाप्त करने के अपने आशय को व्यक्त किया है, तत्पश्चात् ही इस मामले में आयोग को पूर्ण अधिकारिता प्राप्त हो पाएगी। इस बीच आयोग ने इस दिशा में कुछ आरंभिक कार्य शुरू कर दिया है। यूटीलिटीज की सूची, जिनके लिए थोक विद्युत टैरिफ आयोग द्वारा विनियमित किया जाएगा, विद्युत प्रदाय अधिनियम की धारा 43 क (2) के हटा लेने की शर्त पर उनकी संक्षिप्त रूपरेखा के साथ अनुसूची 5 में उपलब्ध है। आयोग ने फाईलिंग अपेक्षाओं और टैरिफ मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रतिपादन का कार्य आरंभ कर दिया है जो टैरिफ निर्धारण के लिए याचिकाएं प्रस्तुत करने हेतु यूटीलिटीज को समर्थ बनाएंगे। कार्य जारी है।

आयोग ने टैरिफ निर्धारण जिसमें भारत सरकार द्वारा विहित मानदंड सम्मिलित हैं, करने के लिए विद्यमान प्रक्रियाओं की समीक्षा की है और वर्तमान में सरलता, कार्यकुशलता और निष्पक्षता के मार्गदर्शक सिद्धांतों के संदर्भ में विद्यमान व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। ऊर्जा अवसंरचनात्मक सेवा परियोजना -1 के अधीन, कनाडा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली केनेडियन इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एजेंसी (सीआईडीए) द्वारा आयोग को उपलब्ध कराए गए परामर्शदाताओं द्वारा इस कार्य में सहायता दी जा रही है।

लागत मानदंड संबंधी अध्ययन

उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर उत्पादन लागत को अभिलिखित करने के लिए यूटीलिटीज के भीतर विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करने के आशय से और क्रियाकलाप आधारित मूल्यन को लागू करने हेतु संभावित क्षमता का निर्धारण करने के लिए दो पृथक अध्ययन किए गए थे। आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विजयवाड़ा संयंत्र पर रिपोर्ट, कास्ट टेक्नॉलाजी (एशिया) प्रा. लि. के निदेशक श्री ए. एन. रमन द्वारा तैयार

की गई थी, जबकि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के दादरी संयंत्र पर रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की लागत लेखा शाखा ने तैयार की थी। ये अध्ययन अनुसरण की जा रही विद्यमान पद्धति को समझने, विभिन्न निवेशों की लागत के लिए विद्यमान लागत मानदंडों और वास्तविक खर्चों के मध्य संबंध स्थापित करने तथा लागत आबंटन की वैकल्पिक पद्धति को अपनाने हेतु संभावित निर्धारण करने के मामले में आयोग के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। इन अध्ययनों से इस बात की पुनः पुष्टि करने के सिवाय कोई और निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला था कि कार्यकुशलता की दृष्टि से लागत मानदंड की समीक्षा आवश्यक है। इससे यूटीलिटीज के भीतर लेखा कार्य की पुनः संरचना करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने की आवश्यकता होगी ताकि यह क्रियाकलाप केंद्रों की लागतों का उचित आबंटन करने के लिए समर्थ हो सके।



अंतर्राज्यीय पारेषण विनियमन

अंतर्राज्यीय पारेषण विनियमन जिसमें ऊर्जा के अंतर्राज्यीय अंतरण में लगी यूटीलिटीज के पारेषण टैरिफ भी सम्मिलित है, इस अधिनियम के तहत आयोग का प्रमुख कार्य है। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में प्रचालनरत पांच क्षेत्रीय ग्रिड है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रिड क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा शासित होता है जो विद्युत प्रणालियों के एकीकृत प्रचालन को बढ़ावा देने के आशय से, 1964 में भारत सरकार के संकल्प द्वारा प्रवर्तन में आए हैं। यद्यपि, क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों का कार्य सलाह देना है, क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (आर. एल. डी. सी.) की स्थापना के.वि.प्रा. द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में 1970 में की गई थी तथापि वे क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के प्रचालनात्मक नियंत्रण में हैं। क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों

को 1991 में विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के संशोधन द्वारा कानूनी प्रास्थिति दी गई थी। जनवरी, 1994 से जनवरी, 1996 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों, जो मूलतः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भाग थे, को पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया को अंतरित कर दिया गया था। 1998 में विद्युत प्रदाय अधिनियम का और संशोधन करके क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों की भूमिका स्पष्ट कर दी गई है और उन्हें संबद्ध क्षेत्र में पावर प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में अभिहित किया गया है। इसके साथ-साथ क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड एकीकृत ग्रिड के सुचारू संचालन और क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के सर्वसम्मत विनिश्चय से विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययता और कार्यकुशलता से संबंधित मामलों पर क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र को कुशल बनाने के लिए समर्थ हुए। इस संशोधन में यह और स्पष्ट किया गया है कि आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए विवाद समाधान की पद्धति जिसके अधीन क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों द्वारा दिए गए निर्देशों से संबंधित सभी

विवाद है, विनिश्चय के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को निर्दिष्ट किए जाते हैं। क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा वसूल की जाने वाली फीस केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा भी विनिर्दिष्ट की जानी होती है।

क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के विनिश्चय और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के प्रचालन प्रक्रिया के लिए क्षेत्रीय ग्रिडों की योजना और प्रचालन के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रक्रिया केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है। जबकि, राज्य विद्युत बोर्डों की पुनर्संरचना के पश्चात् प्रणाली से संयोजित यूटीलिटीज की प्रकृति के विपणन के साथ तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने के कारण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। अंतर्राज्यीय ऊर्जा बिक्री की मात्रा में संवर्धन, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विचलन के साथ ऊर्जा मांग में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय विद्युत ग्रिड प्रणाली में विभिन्न अभिकरणों तथा प्रतिभागियों के लिए नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत तथा मानकों के निर्धारण के लिए एक एकीकृत कोड की आवश्यकता महसूस की गई। इन उद्देश्यों के अनुसरण में क्षेत्रीय ग्रिडों के सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के साथ और भारतीय

विद्युत ग्रिड संहिता के प्रतिपादन के लिए स्वीकार की जाने वाली रूपात्मकता पर विचार-विमर्श करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य श्री डी.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में विशेष कार्यकारी समूह स्थापित किया गया है। कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1999 के पहले सप्ताह में प्रस्तुत कर दी थी जिसके पश्चात् उसे प्रारूप ग्रिड संहिता का प्रतिपादन करने में उनकी सहायता करने के लिए पावर ग्रिड को भेज दिया गया था।

मार्च, 1999 में आयोग ने भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तैयार करने और केन्द्रीय विद्युत पारेषण यूटीलिटी के लिए संगठनात्मक व्यवस्था करने के लिए पावर ग्रिड को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों की एक प्रति अनुसूची-1 में उपलब्ध है।



वर्ष 1999-2000 के लिए कार्यसूची

- ◆ भारतीय विद्युत ग्रिड के लिए संहिता और केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी के लिए संगठनात्मक व्यवस्था।
- ◆ केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी से भिन्न व्यक्तियों द्वारा अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति के इंतजाम के लिए आदेश।
- ◆ थोक विद्युत और पारेषण टैरिफ पर परामर्शदायी आलेख।
- ◆ उत्पादन यूटीलिटीज के लिए कार्यनिष्पादन मानकों पर आदेश।
- ◆ दर आधार के मानदंडों के निर्धारण के लिए आदेश।
- ◆ टैरिफ फाईलिंग की प्रक्रिया सहित थोक विद्युत और पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए विनियम
- ◆ परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए विनियम।
- ◆ आयोग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए विनियम।
- ◆ चुनिन्दा उत्पादन केन्द्रों और पारेषण लाइनों के टैरिफ निर्धारण के लिए आदेश।
- ◆ विद्युत क्षेत्र के लिए पर्यावरण विनियमों पर परामर्शदायी आलेख।
- ◆ विनियामक प्रशासन और प्रक्रिया कार्य-निष्पादन आधारित दर बनाना और प्रोत्साहन विनियम, कार्य-निष्पादन मानकों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग और मूल्य विनियमन के क्षेत्र में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का प्रावधान।



वर्ष 1999-2000 के लिए कार्यसूची

- ◆ भारतीय विद्युत ग्रिड के लिए संहिता और केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी के लिए संगठनात्मक व्यवस्था।
- ◆ केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी से भिन्न व्यक्तियों द्वारा अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति के इंतजाम के लिए आदेश।
- ◆ थोक विद्युत और पारेषण टैरिफ पर परामर्शदायी आलेख।
- ◆ उत्पादन यूटीलिटीज के लिए कार्यनिष्पादन मानकों पर आदेश।
- ◆ दर आधार के मानदंडों के निर्धारण के लिए आदेश।
- ◆ टैरिफ फाईलिंग की प्रक्रिया सहित थोक विद्युत और पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए विनियम
- ◆ परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए विनियम।
- ◆ आयोग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए विनियम।
- ◆ चुनिन्दा उत्पादन केन्द्रों और पारेषण लाइनों के टैरिफ निर्धारण के लिए आदेश।
- ◆ विद्युत क्षेत्र के लिए पर्यावरण विनियमों पर परामर्शदायी आलेख।
- ◆ विनियामक प्रशासन और प्रक्रिया कार्य-निष्पादन आधारित दर बनाना और प्रोत्साहन विनियम, कार्य-निष्पादन मानकों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग और मूल्य विनियमन के क्षेत्र में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का प्रावधान।

अनुसूची- I

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



कोर-3, पांचवा तल, स्कोप काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003

टेलीफोन नं. 91-11-4361145 फैक्स नं. 91-11-4360010

सदस्यों और मुख्य कर्मचारियों की सूची

पदनाम	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख	फोन नं.	ई.मेल
अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक	एस.एल.राव	6 अगस्त, 1998	91-11-4360004	raosl@hotmail.com
सदस्य	डी.पी.सिन्हा	6 अगस्त, 1998	91-11-4361259	dps42@hotmail.com
सदस्य	जी. एस. राजामणि	6 अगस्त, 1998	91-11-4361235	gsr23@hotmail.com
सदस्य	ए. आर. रामनाथन	6 अगस्त, 1998	91-11-4361280	arr18@hotmail.com
सदस्य (पदेन)	आर. एन. श्रीवास्तव	6 अगस्त, 1998	91-11-6109212	
सचिव	संजीव एस. अहलुवालिया	1 दिसंबर 1998	91-11-4361051	ahluss@hotmail.com
प्रमुख (इन्जीनियरी)	रिक्त			
प्रमुख (वित्त)	रिक्त			
प्रमुख (अर्थशास्त्र)	रिक्त			
संयुक्त प्रमुख (विधि)	रिक्त			
संयुक्त प्रमुख (वित्त)	रिक्त			
उप प्रमुख (इन्जीनियरी)	रिक्त			
उप प्रमुख (इन्जीनियरी)	रिक्त			
उप प्रमुख (इन्जीनियरी)	रिक्त			
उप प्रमुख (वित्त)	डी. पी.कार	31 मार्च 1999	91-11-4364895	
उप प्रमुख (अर्थशास्त्र)	रिक्त			
उप प्रमुख (एम.आई.एस)	रिक्त			
उप प्रमुख (पर्यावरण)	रिक्त			
उप प्रमुख (पी.आर)	रिक्त			

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
संगठनात्मक चार्ट (३१ मार्च १९९९ की स्थिति के अनुसार व्यावसायिक स्टॉफ)



अनुसूची- III

केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

18 दिसम्बर, 1998

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 की सं. 3/10/98 के. वि. वि. आ. - धारा 14 (1) में प्रावधान है कि निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को परामर्श देने के लिए के.वि.वि.आ. एक समिति का गठन कर सकता है जो केन्द्रीय सलाहकार समिति (सी.ए.सी.) के नाम से जाना जाएगा:-

- (i) नीति से संबंधित प्रमुख विषय :
 - (ii) लाइसेंसधारियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सेवा की गुणवत्ता, अनवरतता एवं सीमा से संबंधित मामले;
 - (iii) लाइसेंसधारियों द्वारा उनके लाइसेंस की शर्तों एवं आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - (iv) उपभोक्ता हित का संरक्षण; एवं
 - (v) विद्युत आपूर्ति एवं युटिलिटीज द्वारा निष्पादन के सम्पूर्ण मानदंड।
2. तदनुसार, जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए

निम्नलिखित व्यक्तियों को सी.ए.सी. हेतु मनोनीत करने का निर्णय लिया गया:-

1. ई. बालानंदन, संसद सदस्य, नई दिल्ली।
2. श्री एन. एम. बालासुब्रमनियम, कार्यकारी निदेशक, रेल परिवहन संस्थान, नई दिल्ली।
3. श्री एस. जे कोइल्लो, पूर्व - अध्यक्ष, जी ई बी, बंगलौर।
4. डा० अशोक गुलाटी, आर्थिक वृद्धि संस्थान, दिल्ली।
5. डा० कमल गुप्ता, पूर्व निदेशक, आई सी ए आई, नई दिल्ली।
6. डा० डी. जगन्नाथन, निदेशक तकनीकी, भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली।
7. श्री सुधीर जालान, अध्यक्ष, फिक्की, नई दिल्ली।
8. श्री डी. वी. कपूर, अध्यक्ष, रिलायंस पावर लि०, नई दिल्ली।
9. श्री वी. के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक, सोसाइटी फार प्रमोशन आफ वेस्टलैड डेवलपमेंट, नई दिल्ली।



10. श्री सुब्रत मुखर्जी, विधानसभा सदस्य, कलकत्ता।
11. डा० आर. के. पचौरी, निदेशक, टाटा इनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।
12. श्री दीपक पारेख, अध्यक्ष, आई डी एफ सी, मुंबई।
13. डा० (श्रीमती) ज्योति के. पारिख, सीनियर प्रोफेसर, इंदिरा गांधी विकास शोध संस्थान, मुंबई।
14. श्री जे.पार्थसारथी, अध्यक्ष, आं.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड, हैदराबाद।
15. श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एन एच पी सी लि., फरीदाबाद।
16. प्रो. अमूल्य के. एन. रेड्डी, अध्यक्ष, इंटरनेशनल एनर्जी इनिशिएटिव, बंगलौर।
17. श्री जी. वी. कृष्णा रेड्डी, जीवीके इंडस्ट्रीज, हैदराबाद।
18. श्री टी. एल. शंकर, प्राचार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज आफ इंडिया, हैदराबाद।
19. श्री गिरीश संत, अध्यक्ष, प्रयास, पुणे।
20. प्रो. मानुभाई शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी, उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केन्द्र, अहमदाबाद।
21. श्री आर. वी. शाही अध्यक्ष, कोर ग्रुप आन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सी आई आई।
22. श्री आर. पी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली ।
23. श्री राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एन.टी.पी.सी. नई दिल्ली।
24. श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत बोर्ड।
25. श्री सी. वी. जे. वर्मा, महासचिव, पावर युटिलिटीज, नई दिल्ली ।
26. प्रो. (श्रीमती) एस. के. वर्मा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली ।
3. धारा 14(3) के प्रावधानों के अनुसार एवं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य सी. ए. सी. के पदेन अध्यक्ष एवं पदेन सदस्य होंगे ।

4. केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित अधिकारियों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते का व्यय संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। गैर-विभागीय सदस्य भारत सरकार के वर्ग 'ए' अधिकारियों को स्वीकार्य यात्रा/दैनिक भत्ते के हकदार होंगे एवं यह व्यय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

5. इसे अध्यक्ष, सी ई आर सी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

ह.

संजीव एस. आहलुवालिया
सचिव



अनुसूची- IV

पावरग्रिड को जारी किये गये निर्देश के.वि.वि. आयोग द्वारा

भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता की तैयारी एवं सेंट्रल ट्रांसमिशन यूपिलिटी की संगठनात्मक व्यवस्थाओं के लिए निर्देश।

1. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ) को विद्युत विनियामक आयोग के अधिनियम, 1998 (वि. वि. आ. अधिनियम) की धारा 13 (सी) के अनुसार विद्युत के अन्तर-राज्यीय पारेषण को विनियमित करने का दायित्व सौपा गया है। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित) आगे विद्युत अधिनियम के रूप में संदर्भित, की धारा 27 (ए) के अंतर्गत यह भी प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार, कार्यालय गजट में एक अधिसूचना के द्वारा, किसी भी सरकारी कम्पनी को सेंट्रल ट्रांसमिशन यूपिलिटी (सी.टी.यू.) के रूप में निर्दिष्ट करेगा। इनप्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया को सी.टी.यू. के रूप में अधिसूचित किया है, सी.टी.यू. के कार्यों का उल्लेख विद्युत अधिनियम की धारा 207 (ए) (2) में किया गया है। विद्युत के अन्तरराज्यीय पारेषण के अलावा सी.टी.यू. के प्रमुख कार्यों में अन्तर-राज्यीय पारेषण पद्धति (आई एस टी एस) की योजना बनाना, उसका संयोजन करना, निरीक्षण करना तथा उसका नियंत्रण करना शामिल है।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 55, उप- धारा (1) के अनुसार, सी टी यू जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं होता है, आर एल डी सी का संचालन करेगा। अतः इस संबंध में उसके कार्यों को संपादित करने हेतु उसे योग्य बनाने के लिए सी.टी.यू. के विस्तृत अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित करना आवश्यक है।

2. सी.टी.यू. द्वारा अधिकतम अप्रैल 7, 1999 तक उसकी स्वीकृति के लिए के.वि.वि.आ. को भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आई.ई.जी.सी.) का प्रारूप सौपा जाएगा। के.वि.वि.आ. आई.ई.जी.सी. के प्रारूप पर जो वह अनिवार्य समझता है उस प्रकार की कारवाई कर सकता है एवं इच्छुक पार्टियों की आपत्तियों को प्राप्त कर सकता है तथा उन पर विचार कर सकता है, आई.ई.जी.सी. में किसी भी प्रस्तावित संसोधन से पूर्व क्योंकि वह आई.एस.टी.एस. से संबंधित है जो के.वि.वि.आ. के पास स्वीकृति के लिए जमा किये जाते हैं, सी.टी.यू. द्वारा व्यावहारिक सीमा तक प्रभावित होने वाले सभी यूपिलिटीज से संपर्क किया जाएगा, यूपिलिटी की किसी भी प्रकार की आपत्तियां जो सी.टी.यू. की निगाह में लायी जाती हैं, आरंभिक अथवा किसी भी प्रकार के तदनुगामी संसोधन, स्वीकृति प्राप्त करने के समय के.वि.वि.आ. को सुझाये जाएंगे। आई.ई.जी.सी. एक विकासवादी कोड होगा।

- जो के.वि.वि.आ. द्वारा उसी रूप में, अथवा सी.टी.यू. अथवा किसी भी अन्य इच्छुक व्यक्ति द्वारा जमा किये गये संसोधनों के प्रस्तावों के आधार पर परिवर्तन के अधीन होगा।
3. आई.ई.जी. सी निम्नलिखित को शामिल करेगा लेकिन इस सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा: -
- (i) आई.एस.टी. एस के प्रबलन अथवा विस्तार की आवश्यकताओं की पहचान एवं प्रोत्साहन के लिए अनिवार्य आई.एस.टी.एस. योजना प्रक्रिया एवं सूचना वितरण पद्धति।
 - (ii) न्यूनतम तकनीकी डिजाईन एवं संचालन मानकों को निर्दिष्ट करने वाले संयोजनता शर्तें जिनका अनुपालन संयोजित किये गये अथवा आई.एस.टी.एस. से संयोजन चाहने वाले प्रत्येक युटीलिटी द्वारा किया जाएगा ।
 - (iii) प्रस्तावों के आमंत्रण की प्रक्रिया, निविदा का तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन एवं किसी भी आई एस टी एस के निर्माण, रखरखाव एवं संचालन के लिए संप्रेषण लाइसेंस के अनुप्रयोग एवं स्वीकृति हेतु डेवलपर्स का चयन ।
 - (iv) आवेदन जमा करने की प्रक्रिया, एवं किसी भी व्यक्ति को संप्रेषण लाइसेंस की स्वीकृति जिसके द्वारा लाइसेंसी सी.टी.यू. के निर्देशन, नियंत्रण एवं निरीक्षण के अंतर्गत किसी भी आई.एस.टी.एस. के निर्माण, रखरखाव एवं संचालन के लिए अधिकृत होगा।
 - (v) नीति एवं प्रक्रियाओं जिसके अंतर्गत सी.टी.यू. द्वारा आई.एस.टी. एस. का निर्देशन, नियंत्रण एवं निरीक्षण किया जाएगा तथा जिसके अंतर्गत दोनों सामान्य एवं असामान्य संचालन अवस्थाओं में युटीलिटीज द्वारा सुरक्षा एवं आपूर्ति की गुणवत्ता के संरक्षण एवं आई.एस.टी.एस. के सुरक्षित संचालन- के लिए आवश्यक उनके संयंत्र का संचालन किया जाएगा, को निर्दिष्ट करने वाले कोड का संचालन।
 - (vi) वर्तमान अवस्थाओं में विद्युत आपूर्ति में इकॉनोमी, कार्यकुशलता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रिड के संचालन हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं, सूचना प्रवाहों, निर्देशों एवं क्रियाकलापों को निर्दिष्ट करने के लिए कोड का सूचीयन (एवं प्रेषण) तथा भारतीय विद्युत ग्रिड के प्रबंध से संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार।
 - (vii) आई एस टी एस के संयोजनों एवं संचालन से संबंधित सभी तकनीकी पहलू
 - (viii) आई.एस.टी.एस. के माध्यम से ऊर्जा के कारगर, संयोजित एवं आर्थिक संप्रेषण के विकास, रखरखाव एवं संचालन की स्वीकृति के लिए प्रावधान ।
 - (ix) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता एवं इकॉनोमी की सुविधा का प्रावधान; एवं



- (x) भारत के विद्युत उत्पादन, संप्रेषण एवं वितरण पद्धति की सुरक्षा एवं कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था।
4. सी.टी.यू. अपने सभी युटीलिटीज के परामर्श के साथ भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) को तैयार करेगा, उसे लागू करेगा, पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा एवं संसोधन करेगा तथा उसका अनुसरण करेगा।
5. पावर सिस्टम के संचालन को सुगम करने के लिए सी.टी.यू. यदि कोई हो, राज्य (राज्यों) में क्रियान्वयन में राज्य विद्युत ग्रिड कोड एस.आइ.जी.सी. के प्रावधानों पर ध्यान देगा। आई.ई.जी.सी. एवं एस.ई.जी.सी. के प्रावधानों के बीच यदि कोई विरोध हो तो उसे ऐसे मामलों में स्वीकार्य होने योग्य प्रक्रिया की स्थापना के उद्देश्य से के. वि. वि. आ. के ध्यान में लाया जायेगा।
6. सी.टी.यू. का यह कर्तव्यहोगा कि वह आई.एस.टी.एस. पर निरीक्षण एवं नियंत्रण रखे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभभोक्ता निम्नलिखित के लिए अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सक्षम हैं :-
- (i) अपने कैप्टिवलाइसेंसीज की उत्पादन इकाईयों के साथ अपने स्वयं की उत्पादन इकाईयों का सूचीयन एवं प्रेषण।
- (ii) अपने ग्राहकों की मांग का विनियमन।
- (iii) संबंधित संयंत्रों की संभावित क्षमता की अपनी भागीदारी के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से ड्राअल का सूचीयन।
- (iv) किसी भी द्विपक्षीय अन्तर-परिवर्तनों की व्यवस्था करना; एवं
- (v) आई.एस.टी.एस. के शुद्ध झूल का विनियमन।
7. 1. यह सी.टी.यू. अन्तर-राज्य संप्रेषण पद्धति (आई.एस.टी.एस.) के सुदृढ़ नियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।
2. यह सी.टी.यू., सी.ई. के संप्रेषण योजना मानकों एवं यदि कोई हो, के. वि. वि. आ. द्वारा निर्धारित पद्धति एवं आई.ई.जी.सी. में रखे गये संचालन मापदंडों के अनुसार आई.एस.टी.एस. की योजना बनाएगा, उसके विकास, प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।
8. के. वि. वि. आ. की पूर्व स्वीकृति के अतिरिक्त, यह सी.टी.यू. सामान्यतः विद्युत की खरीद, बिक्री अथवा उसका व्यवसाय नहीं करेगा।
9. सी.टी.यू. जो आर.सी.डी. के संचालन के लिए उत्तरदायी है अन्तर-राज्य संचालन से उत्पन्न किसी भी प्रकार के भुगतान की गणना के लिए एक पृथक कार्य के रूप में ऊर्जा लेखा पद्धति के रखरखाव एवं संचालन को सुनिश्चित करेगा।
10. आई.ई.जी.सी. को कार्यान्वित करने में, सी.टी.यू. की अपनी भूमिका है जो चरित्र में व्यावसायिक नहीं है,

इसे देखते हुए यह अनिवार्य होगा कि पी.जी.सी.आई.एल. में सी.टी.यू. का अंश पी.जी.सी.आई.एल. के अन्य क्रियाकलापों से पी.जी.सी.आई.एल. के अंतर्गत पृथक किया जाना चाहिए एवं उसे एक पृथक लेखा एवं प्रशासनिक इकाई के रूप में रखा जाना चाहिए। जहां पी.जी.सी.आई.एल. भी एक संप्रषेण युटीलिटीज के रूप में कार्य करता है, उसे भी सी.टी.यू. के अनुशासन के अधीन होना चाहिए। के. वि.वि.आ. की स्वीकृति के साथ पावरग्रिड निम्नलिखित क्षेत्रों के कार्यात्मक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्ता तथा आर्गेनिक पृथक्करण की स्थापना करेगा :-

- i) पद्धति संचालन (योजना, संयोजन, निरीक्षण एवं आई एस टी एस का संचालन)
- ii) संप्रषेण व्यवसाय
- iii) किसी भी अन्य प्रकार के व्यवसाय।

11 सी.टी.यू. आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदण्ड के अंतर्गत विवरणों (वित्तीय, विवरणों से शामिल) के साथ अपने क्रियाकलापों का आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा,

सी.टी.यू. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जैसा कि निर्धारित किया गया है प्रति वर्ष के. वि. वि. आ. को एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा जिसमें सुरक्षा मानको एवं सेवा की गुणवत्ता का किस प्रकार से

पालन किया गया है अथवा नहीं जैसा भी मामला होगा के विवरण शामिल होंगे लेकिन वह इसी सीमा तक सीमित नहीं होगा, इसके लिए सी.टी.यू. उसकी स्वीकृति के लिए के. वि. वि. आ. के पास रिपोर्ट का एक उपयुक्त प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है।

12 यह सी.टी.यू. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियामक नियंत्रण के अंतर्गत होगा एवं के वि. वि. आ. द्वारा घटको के मध्य तटस्थता एवं आई. एस.टी.एस. के कारगर संचालन के हित में जारी किए गए किसी भी दिशा निर्देशों के अंतर्गत होगा।

13 संप्रषेण व्यवसाय के क्रियाकलापों को विनियंत्रित करने के लिए सी.टी.यू. द्वारा के. वि.वि.आ. की स्वीकृति के लिए संप्रषेण लाइसेंसों का प्रारूप बनाया जायेगा, किसी भी लाइसेंस पर आरोपित नियम एवं शर्तें सी.टी.यू. के संप्रषेण व्यवसाय पर भी लागू होंगे।

आयोग के आदेश से

ह.
(संजीव एस आहलूवालिया)
सचिव


तिथि : 31 मार्च 1999

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन

विद्यमान उत्पादन केन्द्रों का विवरण तथा उनका कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की सं०xमे.वा.)	प्रचालन की तारीख	ईंधन	ईंधन लिंकेज	वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य निष्पादन			
		क्षेत्र	जिला/राज्य					उत्पादित	निष्कासित	सं.भा.गु.	उपलब्धता
								ऊर्जा (मिग्वु)	ऊर्जा (मिग्वु)	%	%
1.	सिंगरोली एसटीपीएस	उत्तरी	उ.प्र./सोनभद्रा	यूनिट-I 200 मे.वा.	13.02.82	कोयला	जयन्त/ दुधीचुआ खान एनसीएल	15797.8	14758.60	90.17	91.28
				यूनिट-II 200 मे.वा.	25.11.82						
				यूनिट-III 200 मे.वा.	28.03.83						
				यूनिट-IV 200 मे.वा.	02.11.83						
				यूनिट-V 200 मे.वा.	26.02.84						
				यूनिट-VI 500 मे.वा.	23.12.86						
				यूनिट-VII 500 मे.वा. केन्द्र -2000 मे.वा.	24.11.87						
2.	रिहन्द एसटीपीएस	उत्तरी	उ.प्र./सोनभद्रा	यूनिट-I 500 मे.वा.	31.03.88	कोयला	अमलोहरी/ दुधीचुआ खान	6817.7	6267.60	77.83	80.05
				यूनिट-II 500 मे.वा.	05.07.89						
				केन्द्र-1000 मे.वा.							
3.	दादरी (कोयला)	उत्तरी	उ.प्र./गौतमबुद्ध नगर	यूनिट-I 210 मे.वा.	21.12.91	कोयला	पिपारीवार	6727.5	6219.30	91.43	94.83
				यूनिट-II 210 मे.वा.	18.12.92						
				यूनिट-III 210 मे.वा.	23.03.93						
				यूनिट-IV 210 मे.वा.	24.03.94						
				केन्द्र-840 मे.वा.							
4.	ऊँचाहार एसटीपीएस	उत्तरी	उ.प्र./राय बरेली	यूनिट-I 210 मे.वा.	21.11.98	कोयला	उत्तरी करनपुरा	3023.1	2753.90	82.17	90.49
				यूनिट-II 210 मे.वा.	22.03.89						
				केन्द्र-420 मे.वा.							

नोट: एनटीपीसी द्वारा प्रस्तुत डाटा यथावत् दर्शाया गया है। आयोग ने इसका सत्यापन नहीं किया है।



नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन


विद्यमान उत्पादन केन्द्रों का विवरण तथा उनका कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की सं०xमे.वा.)	प्रचालन की तारीख	ईंधन	ईंधन लिंकेज	वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य निष्पादन			
		क्षेत्र	जिला/राज्य					उत्पादित ऊर्जा (मिघू)	निष्कासित ऊर्जा (मिघू)	सं.भा.गु. %	उपलब्धता %
5.	अन्ता जीपीपी	उत्तरी	राजस्थान/वर्न	जीटी-I 88 मे.वा. जीटी-II 88 मे.वा. जीटी-III 88 मे.वा. एसटी-I 149 मे.वा. केन्द्र-419 मे.वा.	20.01.89 04.03.89 04.05.89 05.03.90	गैस		2931.1	2874.60	79.79	93.08
6.	औरेंग्या जीपीपी	उत्तरी	उ.प्र./औरेंग्या	जीटी-I 110 मे.वा. जीटी-II 110 मे.वा. एसटी-I 106 मे.वा. जीटी-III 110 मे.वा. जीटी-IV 110 मे.वा. एसटी-II 106 मे.वा. केन्द्र - 652 मे.वा.	29.03.89 21.07.89 29.12.89 09.08.89 29.09.89 12.06.90	गैस		4146.2	4078.50	71.35	86.93
7.	दादरी (गैस)	उत्तरी	उ.प्र./गाँतमबुद्ध नगर	जीटी-I 131 मे.वा. जीटी-II 131 मे.वा. जीटी-III 131 मे.वा. जीटी-IV 131 मे.वा. एसटी-I 146.5 मे.वा. एसटी-II 146.5 मे.वा. केन्द्र-817 मे.वा.	21.02.92 26.03.92 16.06.92 14.10.92 26.02.94 27.03.94	गैस		5099.2	5006.30	70.15	92.15
8.	कोरबा एसटीपीएस	पश्चिमी	म.प्र./जामनीपाली	युनिट-I 200 मे.वा. युनिट-II 200 मे.वा. युनिट-III 200 मे.वा. युनिट-IV 500 मे.वा. युनिट-V 500 मे.वा. युनिट-VI 500 मे.वा. केन्द्र-21000 मे.वा.	01.03.83 31.10.83 17.03.84 31.05.87 25.03.88 23.03.89	कोयला	गेवरा खान + दीपिका/कोरबा खान	16046.6	14997.00	87.23	90.96

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन

विद्यमान उत्पादन केन्द्रों का विवरण तथा उनका कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की संख्या मे.वा.)	प्रचालन की तारीख	ईंधन	ईंधन लिसेज	वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य निष्पादन			
		क्षेत्र	जिला/राज्य					उत्पादित ऊर्जा (मि.यू.)	निष्कासित ऊर्जा (मि.यू.)	सं. भा. गु. %	उपलब्धता %
9.	विंध्याचल एसटीपीएस	पश्चिमी	म०प्र०/सिधी	यूनिट-I 210 मे.वा. यूनिट-II 210 मे.वा. यूनिट-III 210 मे.वा. यूनिट-IV 210 मे.वा. यूनिट-V 210 मे.वा. यूनिट-VI 210 मे.वा. केन्द्र-1260 मे.वा.	10.10.87 23.07.88 03.02.89 26.12.89 31.03.90 01.02.91	कोयला	निगाही/ दुधीचुआ खान	9934.2	9041.20	90.00	91.08
10.	कवास जीपीपी	पश्चिमी	गुजरात/सूरत	जीटी-I 106 मे.वा. जीटी-II 106 मे.वा. जीटी-III 106 मे.वा. जीटी-IV 106 मे.वा. एसटी-I 110.5 मे.वा. एसटी-II 110.5 मे.वा. केन्द्र-645 मे.वा.	22.03.92 24.05.92 30.06.92 27.08.92 23.02.93 19.03.93	गैस		4411.9	4335.20	76.75	90.57
11.	झानोर-गंधार जीपीपी	पश्चिमी	गुजरात/भरूच	जीटी-I 131 मे.वा. जीटी-II 131 मे.वा. जीटी-III 131 मे.वा. एसटी-I 255 मे.वा. केन्द्र-648 मे.वा.	17.03.94 31.03.94 20.05.94 30.03.95	गैस	एस. गुजरात	2162.2	2086.70	37.50	75.93
12.	रामागुण्डम एसटीपीएस	दक्षिणी	आ०प्र०/ करीम नगर	यूनिट-I 200 मे.वा. यूनिट-II 200 मे.वा. यूनिट-III 200 मे.वा. यूनिट-IV 500 मे.वा. यूनिट-V 500 मे.वा. यूनिट-VI 500 मे.वा. केन्द्र-2100 मे.वा.	26.11.83 29.05.84 13.12.84 26.06.88 26.03.89 16.10.89	कोयला	सिंगरेनी कोलरीज कं० लि० का रामागुण्डम क्षेत्र	15859.2	14725.00	86.21	89.36
13.	कायमकुलम जीपीपी	दक्षिणी	केरल/अलेपी	जीटी-I 115 मे.वा. जीटी-II 115 मे.वा. केन्द्र-230 मे.वा.	05.11.98 28.02.99	गैस	बी.पी.सी.एल.	177.8	176.86	71.46	83.26



नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन

विद्यमान उत्पादन केन्द्रों का विवरण तथा उनका कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	केंद्र का नाम	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की संख्या में वा.)	प्रचालन की तारीख	ईंधन	ईंधन लिंकज	वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य निष्पादन			
		क्षेत्र	जिला/राज्य					उत्पादित ऊर्जा (मियु)	निष्कासित ऊर्जा (मियु)	सं. भा. गु. %	उपलब्धता %
14.	फरक्का एसटीपीएस	पूर्वी	प० बंगाल मुर्शिदाबाद	यूनिट-I 200 मे.वा. यूनिट-II 200 मे.वा. यूनिट-III 200 मे.वा. यूनिट-IV 500 मे.वा. यूनिट-V 500 मे.वा. केंद्र-1600 मे.वा.	01.01.86 24.12.86 06.08.87 25.09.92 16.02.94	कोयला	राजमहल खान	5475.6	4865.10	39.07	81.51
15.	कहलगाँव एसटीपीएस	पूर्वी	बिहार/भागलपुर	यूनिट-I 210 मे.वा. यूनिट-II 210 मे.वा. यूनिट-III 210 मे.वा. यूनिट-IV 210 मे.वा. केंद्र-840 मे.वा.	31.03.92 17.03.94 24.03.95 18.03.96	कोयला	राजमहल खान	3988.7	3565.80	54.21	91.24
16.	तलचर एसटीपीएस	पूर्वी	उड़ीसा/अंगुल	यूनिट-I 500 मे.वा. यूनिट-II 500 मे.वा. केंद्र-1000 मे.वा.	19.02.95 27.03.96	कोयला	लिंगराज खान	4592.5	4217.40	52.43	95.28
17.	तलचर एसटीपीएस (पुरानी)	पूर्वी	उड़ीसा/अंगुल	यूनिट-I 60 मे.वा. यूनिट-II 60 मे.वा. यूनिट-III 60 मे.वा. यूनिट-IV 60 मे.वा. यूनिट-V 110 मे.वा. यूनिट-VI 110 मे.वा. केंद्र-460 मे.वा.	17.12.67 28.03.68 11.07.68 11.04.69 24.03.82 24.03.83	कोयला	जगन्नाथ खान/ लिंगराज खान विस्तार	2248.5	1953.00	55.80	83.1

1. उत्पादित ऊर्जा (एम यू एस) - उत्पादन टर्मिनल पर उत्पादित ऊर्जा (सकल ऊर्जा)।
2. बाहर भेजी गई ऊर्जा (एमयूएस) - ग्रिड में डाली गई ऊर्जा (उत्पादित ऊर्जा-अनुषंगी खपत)।
3. संयंत्र भार गुणक (सं. भा. गु.) % - अवधि के दौरान वास्तविक ऊर्जा उत्पादन का अनुपात तथा अधिकतम ऊर्जा उत्पादन का अनुपात तथा अधिकतम उत्पादित ऊर्जा जो कि इस अवधि के दौरान दरित प्रतिष्ठापित क्षमता पर हो सकती है।
4. उपलब्धता % - इस अवधि के दौरान मेगावाट में उत्पादन केंद्र की क्षमता तथा उत्पादन केंद्र की प्रतिष्ठापित क्षमता का अनुपात।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
निर्माणाधीन उत्पादन केन्द्रों का विवरण

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	स्थल		स्थापित क्षमता (युनिटों की सं०xमे.वा.)	ईंधन	प्रचालन की लक्षित तारीख
		क्षेत्र	जिला/राज्य			
1.	विंध्याचल चरण-II	पश्चिमी	म०प्र०/सिंधी	2x500	कोयला	यूनिट-VII- मई '00 यूनिट-VIII- मई '01
2.	ऊँचाहार चरण-II	उत्तरी	उ०प्र०/राज बरेली	2x210	कोयला	यूनिट-III - अप्रैल '00 यूनिट-IV- अक्टूबर '00
3.	फरीदाबाद सीसीपीपी	उत्तरी	हरियाणा/फरीदाबाद	जीटी 2 x 143 + 1x144 एसटी	गैस	जीटी-1- अगस्त '99 जीटी-II मार्च '00 एसटी-जनवरी '01
4.	कायमकुलम सीसीपीपी	दक्षिणी	केरल/अलेप्पी	जीटी 2 x 115 + 1 x 120 एसटी	नापथा	जीटी-1 } प्रचालित जीटी-2 } एसटी-मार्च '00
5.	सिम्हाद्री टीपीपी	दक्षिणी	आ०प्र०/विशाखापट्टनम	2 x 500	कोयला	यूनिट-1 जून-'02 यूनिट-II मार्च '03



नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
विद्यमान उत्पादन केन्द्रों का विवरण तथा उनका कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	केन्द्र का नाम और योजना का किस्म	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की सं० र में. वा.)	प्रचालन की तारीख	वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य निष्पादन			
		क्षेत्र	जिला/राज्य			उत्पादित ऊर्जा (मि.यू.)	निष्कासित ऊर्जा (मि.यू.)	सं.भा.गु. %	उपलब्धता %
1.	बेरा स्थूल नदी अपवाह	उत्तरी	हि०प्र०/चम्बा	यूनिट-I 60 मे.वा. यूनिट-II 60 मे.वा. यूनिट-III 60 मे.वा. केन्द्र-180 मे.वा.	18.05.80 19.05.80 13.09.81	330.19 256.27 163.81	{ }733.54 }	250 250 250	74.53%
2.	चमेरा एचईपी नदी अपवाह	उत्तरी	हि०प्र०/चम्बा	यूनिट-I 180 मे.वा. यूनिट-II 180 मे.वा. यूनिट-III 180 मे.वा. केन्द्र-540 मे.वा.	28.04.94 25.04.94 22.04.94	686.6 768.31 912.37	{ }2352.36 }	554.67 554.67 554.67	82.09%
3.	टनकपुर एचईपी नदी अपवाह	उत्तरी	उ०प्र०/ऊधमसिंह नगर	यूनिट-I 31.4 मे.वा. यूनिट-II 31.4 मे.वा. यूनिट-III 31.4 मे.वा. केन्द्र-94 मे.वा.	31.03.92 04.04.92 04.04.92	182.50 130.88 155.95	{ }465.77 }	153.30 153.30 153.30	87.70%
4.	सलाल एचईपी नदी अपवाह	उत्तरी	जम्मू-कश्मीर/ऊधमपुर	यूनिट-I 115 मे.वा. यूनिट-II 115 मे.वा. यूनिट-III 115 मे.वा. यूनिट-IV 115 मे.वा. यूनिट-V 115 मे.वा. यूनिट-VI 115 मे.वा. केन्द्र-690 मे.वा.	09.11.87 14.11.87 20.11.87 31.03.93 29.05.94 23.02.95	472.24 551.98 477.24 543.79 642.67 534.75	{ } } }3189.25 } }	679.33 679.33 679.33 354.20 354.20 354.20	91.19%
5.	उड़ी एचईपी नदी अपवाह	उत्तरी	जम्मू-कश्मीर/बारामूला	यूनिट-I 120 मे.वा. यूनिट-II 120 मे.वा. यूनिट-III 120 मे.वा. यूनिट-IV 120 मे.वा. केन्द्र - 480 मे.वा.	10.04.97 03.03.97 27.01.97 13.03.97	664.69 696.92 617.04 596.00	{ } }2550.12 }	665.85 665.85 665.85 665.85	96.21%
6.	लोकतक एचईपी प्राकृतिक संचयन	उत्तर-पूर्वी	मैनपुरी/बिशनपुरी चूराचंडप	यूनिट-I 35 मे.वा. यूनिट-II 35 मे.वा. यूनिट-III 35 मे.वा. केन्द्र-105 मे.वा.	29.05.83 30.04.83 13.05.83	211.18 190.79 130.45	{ }529.15 }	150.00 150.00 150.00	93.48%

नोट: एन.एच.पी.सी द्वारा प्रस्तुत डाटा यथावत् दर्शाया गया है। आयोग ने इसका सत्यापन नहीं किया है।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर कार्पोरेशन

निर्माणाधीन उत्पादन केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम और योजना की किस्म	स्थल		प्रतिष्ठापित क्षमता (यूनिटों की सं०xमे.वा.)	प्रचालन की तारीख
		क्षेत्र	जिला/राज्य		
1.	रंजीत नदी अपवाह	उत्तर-पूर्वी	सिक्किम/दक्षिण सिक्किम	3 x 20 = 60	नवम्बर, 99
2.	दुलहस्ती नदी अपवाह	उत्तरी	जम्मू-कश्मीर/डोडा	3 x 130 = 390	मार्च, 01
3.	धौलीगंगा-I नदी अपवाह	उत्तरी	उ०प्र०/पिथौरागढ़	4 x 70 = 280	सितम्बर, 04
4.	चमेरा-II नदी अपवाह	उत्तरी	हि०प्र०/चम्बा	3 x 100 = 300	मई, 04



*न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन

विद्यमान उत्पादन केन्द्रों का विवरण तथा उनका कार्य-निष्पादन

क्र.	केन्द्र का नाम	स्थल		स्थापित क्षमता (यूनिटों की सं०xमे.वा.)	प्रचालन की तारीख*	ईंधन	वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य निष्पादन			
		क्षेत्र	जिला/राज्य				उत्पादित ऊर्जा (मि.यू.)	निष्कासित ऊर्जा (मि.यू.)	सं. भा.गु. %	उपलब्धता %
1.	नरौरा परमाणु विद्युत केन्द्र	उत्तरी	उ०प्र०/नरौरा (बुलन्दशहर)	यूनिट-I 1 x 220 यूनिट-II 1 x 220	29.07.1989 05.01.1992	यूरेनियम यूरेनियम	1316 ; 2480 1492 ;	68.3 77.4	75.0 80.5	
2.	राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र	उत्तरी	राजस्थान रावतभाटा (चिचौड़गढ़)	यूनिट-I 1 x 100 1x150@@ यूनिट-II x 200	30.11.1972 01.11.1980 06.06.1998 @@	यूरेनियम यूरेनियम	767 967	{ ; 1431 }	58.4 67.4	67.4 81.4
3.	तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र	पश्चिमी	महाराष्ट्र (तारापुर/धाने)	यूनिट-I 1 x 160 यूनिट-II 1 x 160	01.04.1969 08.05.1969	यूरेनियम यूरेनियम	1298 ; 2077 996	92.6 }	94.8 71.1	74.7
4.	काकरापार परमाणु विद्युत केन्द्र	पश्चिमी	काकरापार (गुजरात/सूरत)	यूनिट-I 1x220 यूनिट-II 1 x 220	24.11.1992 04.03.1995	यूरेनियम यूरेनियम	1388 ; 2557 1506 ;	72.0 78.2	76.3 80.5	
5.	मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र	दक्षिणी	कलपक्कम (तमिलनाडु/ चेंगलपट्टु)	यूनिट-I 1x170 यूनिट-II 1x170	23.07.1983 20.09.1985	यूरेनियम यूरेनियम	1123 ; 1845 1065 ;	74.5 71.5	77.2 71.7	

* प्रथम तुल्यकालन की तारीख।

@ जुलाई, 97 से यूनिट को 150 मे.वा. ऊर्जा पर प्रचालन की अनुज्ञा दी गई है। सं०भा०गु० 150 मे.वा. ऊ. आधार पर परिकलित है।

@@ मुख्य अनुरक्षण कामबंदी के पश्चात लाइन पर यूनिट 6.6.98 को आई। सं०भा०गु० तथा उपलब्धता धटकों को 6.6.98 से परिकलित किया गया है।

1. जनित ऊर्जा (एमयूएस) - उत्पादन टर्मिनल पर उत्पादित ऊर्जा।
2. बाहर भेजी गई ऊर्जा (एमयूएस) - ग्रिड में डाली गई ऊर्जा (उत्पादित अनुषंगी खपत)
3. संयंत्र भार गुणक (सं०भा०गु०) % - इस अवधि के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा का अनुपात तथा इस अवधि के दौरान दरित स्थापित क्षमता पर हो सकने वाली अधिकतम उत्पादित ऊर्जा।
4. उपलब्धता % - इस अवधि के दौरान मे.वा. में उत्पादन केन्द्र की क्षमता का अनुपात तथा उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता।


*न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन

निर्माणाधीन उत्पादन केन्द्रों का विवरण

क्र. सं.	केन्द्र का नाम और योजना का प्रकार	स्थल		प्रतिष्ठापित क्षमता (यूनिटों की सं०xमे.वा.)	ईंधन	प्रचालन की तारीख
		क्षेत्र	जिला/राज्य			
1.	कैंगा उत्पादन केन्द्र	दक्षिणी	कर्नाटक (कैंगा/उत्तर कन्नडा) यूनिट-II 1x220 मे.वा.	यूनिट-I 1x220 मे.वा. यूरेनियम	यूरेनियम नवम्बर, 1999	सितम्बर, 2000
2.	राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र	उत्तरी	राजस्थान (रावतभाटा/चित्तौड़गढ़) यूनिट-IV 1x220 मे.वा.	यूनिट-III 1 x 220 मे.वा. यूरेनियम	यूरेनियम अक्टूबर, 2000	फरवरी, 2000

नोट : एनपीसी द्वारा प्रस्तुत डाटा यथावत् दर्शाया गया है। आयोग ने इसका सत्यापन नहीं किया है।

*भारत सरकार की स्वीकृति मिलने पर



नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

विद्यमान उत्पादन केन्द्रों का विवरण तथा उनका कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की सं. x मे.वा.)	प्रचालन की तारीख	ईंधन	ईंधन लिंकेज	वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य निष्पादन			
		क्षेत्र	जिला/राज्य					उत्पादित ऊर्जा (मियू)	निष्कासित ऊर्जा (मियू)	सं.भा.गु. %	उपलब्धता %
1.	ताप विद्युत केन्द्र-I	दक्षिणी	तमिलनाडू/ नवेली कुड्डालोर	यूनिट-I 50 मे.वा. यूनिट-II 50 मे.वा. यूनिट-III 50 मे.वा. यूनिट-IV 50 मे.वा. यूनिट-V 50 मे.वा. यूनिट-VI 50 मे.वा. यूनिट-VII 100 मे.वा. यूनिट-VIII 100 मे.वा. यूनिट-IX 100 मे.वा. केन्द्र-600 मे.वा.	23.05.62 29.01.63 11.06.63 27.06.63 29.04.64 24.08.65 28.03.67 12.12.69 21.02.70	लिग्नाइट	नवेली लिग्नाइट	3772.23	2845.33	71.77	76.75%
2..	ताप विद्युत केन्द्र-II	दक्षिणी	तमिलनाडू/ नवेली कुड्डालोर (तमिलनाडू)	यूनिट-I 210 मे.वा. यूनिट-II 210 मे.वा. यूनिट-III 210 मे.वा. यूनिट-IV 210 मे.वा. यूनिट-V 210 मे.वा. यूनिट-VI 210 मे.वा. यूनिट-VII 210 मे.वा. केन्द्र-600 मे.वा.	17.01.88 06.02.87 29.03.86 30.03.91 30.12.91 30.10.92 19.06.93	लिग्नाइट	नवेली लिग्नाइट	9568.14	8199.80	74.3%	84.44%

निर्माणाधीन उत्पादन केन्द्रों का विवरण

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की सं. x मे.वा.)	ईंधन	प्रचालन की तारीख
		क्षेत्र	जिला/राज्य			
	टीपीएस-I विस्तार	दक्षिणी	तमिलनाडू/कुड्डालोर	यूनिट-I 210 मे.वा. यूनिट-II 210 मे.वा.	लिग्नाइट	नवम्बर, 01 मई, 02

नोट:- एनएलसी द्वारा प्रस्तुत डाटा यथावत् दर्शाया गया है। आयोग ने इसका सत्यापन नहीं किया है।

1. उत्पादित ऊर्जा (एमयूएस) - उत्पादन टर्मिनल पर उत्पादित (सकल) ऊर्जा।
2. बाहर भेजी गई ऊर्जा (एमयूएस) - ग्रिड में डाली गई ऊर्जा (उत्पादित ऊर्जा- अनुपंगी खपत)
3. संयंत्र भार गुणक (सं.भा.गु.) % - इस अवधि के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा का अनुपात तथा अधिकतम उत्पादित ऊर्जा जोकि इस अवधि के दौरान दलित प्रतिस्थापित क्षमता पर हो सकती है।
4. उपलब्धता % - इस अवधि के दौरान मे.वा. में उत्पादन केन्द्र की क्षमता का अनुपात तथा उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता का अनुपात।


नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रीक पावर कारपोरेशन
विद्यमान उत्पादन केन्द्रों का विवरण तथा उनका कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की)	प्रचलन की तारीख	ईंधन	ईंधन सिस्टम	वर्ष 1998-99 के दौरान कार्य निष्पादन			
		क्षेत्र	जिला/राज्य					उत्पादित ऊर्जा (मि.यू.)	निष्कासित %	सं. भा. गु. %	उपलब्धता
1.	असम गैस आधारित विद्युत परियोजना	उत्तर-पूर्वी	असम/बोकुलोनो	जीटीयू-I 33.5 मे.वा. जीटीयू-II 33.5 मे.वा. जीटीयू-III 33.5 मे.वा. जीटीयू-IV 33.5 मे.वा. जीटीयू-V 33.5 मे.वा. जीटीयू-VI 33.5 मे.वा. एसटीयू-I 30 मे.वा. एसटीयू-II 30 मे.वा. एसटीयू-III 30 मे.वा. केन्द्र-291 मे.वा.	मार्च, 95 मार्च, 95 जून, 95 जुलाई, 95 मार्च, 96 अक्टूबर, 96 मार्च, 98 मार्च, 98 जुलाई, 98	प्राकृतिक गैस	ऑयल इंडिया लिमिटेड	743.35	743.35	43.8%	-
2.	अगरतला गैस टारबाइन परियोजना	उत्तर-पूर्वी	त्रिपुरा/रामचन्द्र नगर	जीटीयू-121 मे.वा. जीटीयू-II 21 मे.वा. जीटीयू-III 21 मे.वा. जीटीयू-IV 21 मे.वा. केन्द्र-84 मे.वा.	फरवरी, 98 फरवरी, 98 मार्च, 98 मार्च, 98	प्राकृतिक गैस	जी.ए.आई.एल	197.205	197.205	39.5%	-

Hydro Product

क्र. सं.	केन्द्र का नाम और योजना की किस्म	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की)	प्रचलन की तारीख	उत्पादित ऊर्जा (मि.यू.)	निष्कासित %	सं. भा. गु. %	उपलब्धता
		क्षेत्र	जिला/राज्य						
1.	कोपिली जल विद्युत परियोजना	उत्तर-पूर्वी	असम/हिल्स	यूनिट-I 25 मे.वा.	मार्च, 88	556.45	556.54	-	-
(अ)	खाँडोंग विद्युत गृह संचयन			यूनिट-II 25 मे.वा.	मार्च, 88				
(ब)	कोपिली विद्युत-गृह संचयन			यूनिट-I 50 मे.वा. यूनिट-II 50 मे.वा.	मार्च, 98 मार्च, 98				
2.	कोपिली चरण-I विस्तार कोपिली विद्युत गृह संचयन	उत्तर-पूर्वी	असम/हिल्स	केन्द्र-150 मे.वा. यूनिट-III 50 मे.वा. यूनिट-IV 50 मे.वा. केन्द्र-150 मे.वा.	मार्च, 97 जून, 97	438.72	438.72	-	-

नोट: नीचेके द्वारा प्रस्तुत डाटा यथावत् दर्शाया गया है। आयोग ने इसका सत्यापन नहीं किया है।



नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रीक पावर कारपोरेशन

निर्माणाधीन उत्पादन केन्द्रों का विवरण

क्र. सं.	केन्द्र का नाम और योजना की किस्म	स्थल		प्रतिस्थापित क्षमता (यूनिटों की सं.गमे.वा.)	प्रचालन की तारीख
		क्षेत्र	जिला/राज्य		
1.	दोयांग ज.वि. परियोजना संचयन	उत्तर-पूर्वी	नागालैंड/बोखा	यूनिट-I 25 मे.वा. यूनिट-II 25 मे.वा. यूनिट-III 25 मे.वा.	मार्च, 2000 मार्च, 2000 मार्च, 2000
2.	रनगानाडी ज.वि. परियोजना नदी अपवाह	उत्तर-पूर्वी	अरुणाचल प्रदेश	यूनिट-I 135 मे.वा. यूनिट-II 135 मे.वा. यूनिट-III 135 मे.वा.	मार्च, 2001 अग. 2001 सित. 2001
3.	तुईरियाल ज.वि. परियोजना संचयन	उत्तर-पूर्वी	मिज़ोरम	यूनिट-I 30 मे.वा. यूनिट-II 30 मे.वा.	जून, 2006 जून, 2006
4.	कोपिली ज.वि. परियोजना दूसरा चरण संचयन 1	उत्तर-पूर्वी	असम	यूनिट-I 25 मे.वा.	जुलाई, 2003



पावर ग्रिड कारपोरेशन लि०

ग्रिड की विद्यमान लाइन और उप-केन्द्रों का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	संचरण लाइन (सर्किट किमी.)				उप-केन्द्र (एमवीए)
		उप-केन्द्र	400 कि.वो.	220 कि.वो.	132 कि.वो.	
1.	उत्तरी क्षेत्र					
	जम्मू-कश्मीर	-	300	687	-	1260
	हिमाचल प्रदेश	-	572	192	-	-
	दिल्ली	-	397	-	-	1575
	हरियाणा	-	1789	66	-	2025
	पंजाब	-	1170	401	-	1130
	राजस्थान	-	791	1032	-	-
	उत्तर प्रदेश	817	2933	870	-	630
कुल उ०क्षे०	817	7952	3248	0	6620	
2.	पश्चिमी क्षेत्र					
	मध्य प्रदेश	-	5791	-	-	945
	महाराष्ट्र	-	1127	-	-	शून्य
	गुजरात	-	1195	852	-	630
कुल प० क्षेत्र	-	8113	852	0	1575	
3.	दक्षिणी क्षेत्र					
	आन्ध्र प्रदेश	-	2762	-	-	3150
	कर्नाटक	-	965	-	-	शून्य
	केरल	-	260	156	-	630
	तमिलनाडू	-	1647	64	-	1575
कुल द० क्षेत्र	-	5634	220	0	5355	
4.	पूर्वी क्षेत्र					
	बिहार	-	1057	82	-	1860
	उड़ीसा	-	1034	-	-	2520
	पश्चिम बंगाल	-	1287	870	333	2025
	दा०धा०का०	-	344	-	-	630
कुल पू० क्षेत्र	-	3722	952	333	7035	
5.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
	असम	-	1978	171	79	1015
	मे लय	-	-	-	67	-
	नागालैंड	-	-	320	189	100
	मणिपुर	-	-	-	443	6.3
	मिजोरम	-	-	-	178	-
	त्रिपुरा	-	-	-	147	5
	अरुणाचल प्रदेश	-	333	-	42	-
	कुल उ०प्र० क्षेत्र	-	2311	491	1145	1126
कुल अखिल भारत	817	27732	5763	1478	21711	

नोट : पावरग्रिड द्वारा प्रस्तुत डाटा यथावत दर्शाया गया है। आयोग ने इसका सत्यापन नहीं किया है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन लि०

ग्रिड की विद्यमान लाइन और उप-केन्द्रों का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	संचारण लाइन (सर्किट किमी.)				उप-केन्द्र (एमवीए)
		उ.वो.दि.धा.	400 कि.वो.	220 कि.वो.	132 कि.वो.	
1.	उत्तरी क्षेत्र	920	1607	975	-	2520
2.	उत्तर-पूर्वी	-	333	18	658	-
3.	पश्चिमी क्षेत्र	-	222	-	-	630
4.	दक्षिणी क्षेत्र	-	-	147	-	-
5.	पूर्वी क्षेत्र	-	-	-	95	-
	कुल	920	2162	1140	753	3150

ग्रिड के अन्तर्क्षेत्रीय लिंकों का विवरण लिंक

क्र. सं.	संयोजित क्षेत्र और राज्य	लिंक का नाम	लिंक का प्रकार	अधिकतम विद्युत क्षमता (मे.वा.)	प्रचालन की तारीख
1.	उत्तर (उ.प्र.) और पश्चिम	विंध्याचल बैक-टू-बैक	उ.वो.दि.धा	500	22.4.89
2.	(म.प्र.) पश्चिम (महाराष्ट्र) और दक्षिण (आ.प्र.)	चन्द्रपुर बैक-टू-बैक	उ.वो.दि.धा	1000	धृव-I 1.10.97 धृव-II 1.10.97
3.	पूर्व (उड़ीसा) और दक्षिण (आ.प्र.)	गाजुवाका बैक-टू-बैक	उ.वो.दि.धा	500	1.9.99
4.	दक्षिण (म.प्र.) और पूर्व (उड़ीसा)	220 कि.वो. कोरबा-बुद्धीपारा तीसरा सर्किट	प्र०धा०	150	1.9.99
5.	पूर्व (बिहार) और उत्तर (उ.प्र.)	220 कि.वो. देहरी-कर्मनासा दूसरा सर्किट	प्र०धा०	150	1.6.99

निर्माणाधीन लिंक

क्र.सं.	संयोजित क्षेत्र	लिंक का नाम	लिंक का प्रकार	अधिकतम क्षमता (मे.वा.)
1.	उत्तर (उ.प्र.) और पूर्व (बिहार)	सासाराम बैक-टू-बैक	उ.वो.दि.धा.	500